अध्यापक अनुपस्थिति प्रवृत्ति : एक अध्ययन

रिसर्च ग्रुप | अज़ीम प्रेमजी फाउण्डेशन



शिक्षा के क्षेत्र में ज़मीनी अध्ययन मार्च 2017

Azim Premji University

भारत में स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता और उसमें समतापूर्ण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अज़ीम प्रेमजी फाउण्डेशन मैदानी जुड़ाव के साथ इस दिशा में काम कर रहा है। यह अध्ययन फाउण्डेशन की सक्रिय उपस्थिति वाले क्षेत्रों से प्राप्त अनुभवों और निष्कर्षों को प्रस्तुत करता है। हमारा उद्देश्य इन अध्ययन निष्कर्षों को उन शिक्षकों, अकादमिक जनों और नीति निर्माताओं के सामने प्रदर्शित करना है जो मैदानी स्तर पर शिक्षकों के रूप में स्कूल शिक्षा तंत्र द्वारा अनुभव किए जा रहे कुछ प्रमुख मुद्दों को समझना चाहते हैं।

अध्यापक अनुपस्थिति प्रवृत्ति : एक अध्ययन

रिसर्च ग्रुप | अज़ीम प्रेमजी फाउण्डेशन

संपर्क : field.research@azimpremjifoundation.org

अध्यापक अनुपस्थिति प्रवृत्ति : एक अध्ययन

रिसर्च ग्रुप | अज़ीम प्रेमजी फाउण्डेशन

कार्यकारी सार

अभी हाल के वर्षों में सरकारी प्राथमिक स्कूलों में अध्यापक अनुपस्थिति की प्रवृत्ति की उच्च दर ने शोधार्थियों और नीति निर्माताओं दोनों का ही ध्यान खींचा है और इसे एक गम्भीर मुद्दे की तरह लिया गया है। स्पष्ट रूप से नीतिगत प्रयास इस मुद्दे को हल करने की तरफ रहे हैं पर मुख्यत: उनका नजरिया यह रहा है कि अध्यापकों पर पहले से ज्यादा नियंत्रण करके इसे ठीक किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अभी हाल ही में, सरकार ने अपने आर्थिक सर्वेक्षण में, अध्यापक अनुपस्थिति की प्रवृत्ति पर लगाम कसने के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली का सुझाव दिया। (भारत सरकार 2017)।

हालाँकि सरकारी स्कूलों के अध्यापक कक्षा में मौजूद नहीं होते इसके वाजिब कारण हैं, पर अध्यापकों के स्तर पर लापरवाही से कहीं ज्यादा ये व्यवस्थागत मसलों से सम्बन्धित हैं जिनके चलते अक्सर उन्हें दूसरे कामों को हाथ में लेना पड़ता है। सम्बन्धित अध्ययन दरअसल इन बातों को दर्ज करते हैं, और अक्सर इसे लापरवाही का नाम देते हैं। जिसे बिना कारण के अनुपस्थिति कहा जा सकता है वह अक्सर बहुत ही कम देखी जाती है। यह सिर्फ 4 से 5 प्रतिशत ही है (मुरलीधरन 2016)।

इस अध्ययन में हमने अध्यापक अनुपस्थिति की प्रवृत्ति के मुद्दे को गहराई से समझने के लिए 6 राज्यों के 619 स्कूलों और 2861 अध्यापकों से जुड़े आँकड़ों की पड़ताल की है। ये स्कूल उन इलाकों के हैं जहाँ अज़ीम प्रेमजी फाउण्डेशन कार्यरत है। हमने इन स्कूलों को अपने अध्ययन में सिर्फ मुद्दे से जुड़े आँकड़े जुटाने के लिए नहीं बल्कि अध्यापकों के साथ समय बिताने और इस बात को समझने के लिए भी लिया कि ऐसी परिस्थिति में, जहाँ अनुपस्थिति की प्रवृत्ति और लापरवाही अपेक्षित हो सकती है, वहाँ अध्यापक दरअसल उपस्थिति और शिक्षण मापदण्ड क्यों और कैसे बनाए रखते हैं।

अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि अध्यापकों की अनुपस्थिति की प्रवृत्ति, जिसे 'बिना कारण के अनुपस्थित रहना' कहा जाए वह 2.5 प्रतिशत है। हालाँकि अध्ययन के लिए लिया गया हमारा यह सैम्पल सांख्यिकीय रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करता, पर यह संख्या व आकार में लगभग उतना ही है जितना दूसरे अध्ययनों में। हमने कक्षा में कुल जमा अनुपस्थिति के कुछ सम्भावित सह–सम्बन्धों की पड़ताल भी की और पाया कि मानक तर्कों के कारण कुछ स्पष्ट व्यवस्थित अन्तर हैं।

फिर हमने कुछ केस स्टडीज कीं। हमने उन अध्यापकों को रेखांकित किया है जो इन परिस्थितियों के बावजूद व्यापक रूप से फैली नकारात्मक छवि को तोड़ते हुए उसके विपरीत खड़े हैं। हमने इस बात के साथ अपना निष्कर्ष रखा है कि उन बातों के लिए अध्यापकों पर उँगली उठाना और दोषारोपण करना, जो कि उनके नियंत्रण से परे हैं या व्यवस्थागत मसले का परिणाम हैं, नुकसानदायक है और सरकारी स्कूली प्रणाली पर यह विपरीत प्रभाव डालता है।

1. परिचय

1.1 पृष्ठभूमि और औचित्य

पिछले 10 सालों या उससे भी अधिक समय से अध्यापक अनुपस्थिति की प्रवृत्ति के मुद्दे ने भारतीय प्राथमिक स्कूली व्यवस्था में एक गम्भीर चिन्ता के रूप में काफी ध्यान खींचा है। मौजूदा ब्यौरा बताता है कि सरकारी स्कूलों में अध्यापक अनुपस्थिति की प्रवृत्ति की दर काफी ज्यादा है और यह सरकारी स्कूली व्यवस्था की कमजोरियों के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक है।

वर्ष 2005 से, कई सारे अध्ययन भारत में अध्यापक अनुपस्थिति की प्रवृत्ति वाले मुद्दे पर केन्द्रित रहे हैं (क्रेमेर 2005; भारत सरकार 2009; भट्टाचारजी 2011; मुरलीधरन 2016)। इन कई सारे अध्ययनों में अध्यापक अनुपस्थिति की प्रवृत्ति की उच्च दर को रेखांकित किया गया और इस बिन्दु पर जोर दिया गया कि सरकारी स्कूल व्यवस्था में किसी भी दिन लगभग चार में से एक अध्यापक अनुपस्थित ही मिलेगा। यह आँकड़ा, सरकारी स्कूल व्यवस्था में अध्यापक की जवाबदेही पर होने वाले नीति विमर्श का केन्द्र बिन्दु बन गया।

कोई दो दशकों से स्कूल शिक्षा व्यवस्था के साथ अज़ीम प्रेमजी फाउण्डेशन के हमारे काम का अनुभव बताता है कि अध्यापक अनुपस्थिति की प्रवृत्ति, वैसी *केन्द्रीय* चिन्ता का विषय नहीं है जैसा कि प्रचलित ब्यौरे बताते हैं।

अध्यापक अनुपस्थिति की प्रवृत्ति को बेहतर समझने के लिए हमने उन क्षेत्रों में मैदानी स्तर का अध्ययन किया जहाँ फाउण्डेशन सक्रिय रूप से उपस्थित है। हमारा उद्देश्य इस बात को समझना था कि *किस हद तक और किन कारणों से* अध्यापक स्कूलों में *'उपस्थित नहीं'* हैं। हमारे और दूसरे अन्य अध्ययनों में अध्यापक अनुपस्थिति की प्रवृत्ति, जिसे 'बिना कारण के अनुपस्थित रहना' समझा जाता है, वह कुल मिलाकर होने वाली अनुपस्थिति की तुलना में काफी कम है। सामान्यत: अध्यापक अनुपस्थिति की प्रवृत्ति 2 से 5 प्रतिशत के दायरे में है, जहाँकि कुल मिलाकर होने वाली अध्यापक अनुपस्थिति की प्रवृत्ति 20 प्रतिशत है। बहुत से अध्ययन उन विभिन्न कारणों पर पर्याप्त गौर नहीं करते हैं जिनसे स्कूलों में अध्यापक की अनुपस्थिति बनती है; ये कारण सरकारी स्कूल व्यवस्था की वास्तविकता के चलते आधिकारिक दायित्व (अकादमिक एवं प्रशासनिक) और अन्य विभागीय कार्य से लेकर उन जायज छुट्टियों तक के हैं, जिसके लिए वे अपनी सेवा शर्तों के अन्तर्गत पात्र हैं। इनके बजाए प्रचलित ब्यौरों में अध्यापक के कक्षा में नहीं होने को सीधे-सीधे 'अध्यापक अनुपस्थिति की प्रवृत्ति' में दर्ज किया जाता है। इसी तरह अध्यापक अनुपस्थिति की प्रवृत्ति को अक्सर एकमात्र महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में देखा जाता है, यह दृष्टिकोण स्कूल सुधार के बाकी कई सारे दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों की अनदेखी करता है। उदाहरण के लिए सरकारी स्कूलों में पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित अध्यापकों की भर्ती और नियुक्ति के लिए प्रशासनिक प्रयासों की जरूरत, गैर-अकादमिक कार्य के बोझ से अध्यापकों को दूर रखने की जरूरत और मल्टी-ग्रेड मल्टी-लेवल (एम.जी.एम.एल.) पेडागॉजी को एक उपाय के रूप में देखने की जरूरत है। हालाँकि यह सर्वोत्तम समाधान नहीं है। ये विषय 'अध्यापक की जवाबदेही' के विमर्श में शायद ही शामिल किए जाते हों। इसकी बजाए अध्यापकों को व्यक्तिगत और समूह, दोनों ही रूप में पूरे सरकारी स्कूल व्यवस्था की सभी कमियों की जिम्मेदारी वहन करते देखा जाता है।

इसके साथ ही, हमने विभिन्न इलाकों में कुछ चयनित स्कूलों और उनके अध्यापकों का एक विस्तृत अध्ययन भी किया। अलग-अलग इलाकों के होने के बावजूद, यह तथ्य उभरकर आया कि इन स्कूलों में अध्यापकों ने उच्च स्तर की पेशेवराना कार्यपद्धति और प्रतिबद्धता बनाए रखी है। यह एक ऐसा निष्कर्ष है जो प्रचलित ब्यौरों के ठीक उलट है। पहुँच में कठिनाई, खराब मूलभूत सुविधाएँ, या कभी-कभी उच्च विद्यार्थी-अध्यापक अनुपात जैसे हालात के बाद भी इन स्कूलों में पाया गया कि अध्यापक अपने काम में जुटे हुए थे और अध्यापक अनुपस्थिति की प्रवृत्ति से सम्बन्धित कोई भी चिन्ता न तो निचले स्तर के अधिकारियों ने व्यक्त की और न समुदाय की ओर से कोई शिकायत दिखी। ये विस्तृत केस अध्ययन सरकारी स्कूल व्यवस्था में अध्यापकों के काम की वास्तविकता बताने का प्रयास करते हैं, और मौजूदा अध्ययन इन्हीं पर आधारित है ताकि अध्यापक अनुपस्थिति की प्रवृत्ति को लेकर इकतरफा किस्म के प्रचलित विमर्शों में नए तर्क जोड़े जा सकें। खासतौर पर हम

यह दलील रखते हैं कि एक–सूत्रीय बात पर केंद्रित रहना और वह भी ऐसी बात, जो अध्यापक को तो अपमानित करती है पर व्यापक संस्थागत तस्वीर को नजर अंदाज करती है, इससे उचित और सूक्ष्म नीतिगत प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की सम्भावना नहीं है।

2. अध्यापक अनुपस्थिति की प्रवृत्ति : मैदानी स्तर का अध्ययन

2.1 शोध उद्देश्य

इस अध्ययन का व्यापक शोध उद्देश्य, अज़ीम प्रेमजी फाउण्डेशन की मौजूदगी और काम की संबद्धता वाले चयनित क्षेत्रों में अध्यापक अनुपस्थिति की प्रवृत्ति दर का आकलन करना था। अध्ययन के लिए विशिष्ट शोध प्रश्न निम्नलिखित थे :

1. सरकारी स्कूलों में अध्यापक अनुपस्थिति की प्रवृत्ति की दर क्या है ?
2. वे विभिन्न कारण क्या हैं, जिनके चलते अध्यापक सरकारी स्कूलों में अनुपस्थित रहते हैं और इन अलग–अलग कारणों के लिए अध्यापक अनुपस्थिति की प्रवृत्ति की दर क्या हैं ?
3. अध्यापक अनुपस्थिति की प्रवृत्ति की दर, अध्यापक अनुपस्थिति की प्रवृत्ति के विभिन्न सह–सम्बन्धों के साथ किस तरह बदलती है ?

2.2 प्रतिदर्श चयन (सैम्पलिंग)

जिन जिलों और ब्लॉकों में अध्ययन किया गया ये वे इलाके हैं जिनमें अज़ीम प्रेमजी फाउण्डेशन की मौजूदगी है, इसमें देश के कुछ अति वंचित क्षेत्र भी शामिल हैं। अध्ययन के लिए स्कूलों के नमूने चुनना 'नॉनरैण्डम सैम्पलिंग' (इस तरीके में अलग–अलग लोगों को चुनने का अधिकार नहीं होता) आधार पर था और यह उन स्कूलों तक था जिनसे फील्ड स्तर पर जुड़ने वाली टीम परिचित थी। हालाँकि ये स्कूल, टीम के लिए परिचित थे, पर ये वे स्कूल नहीं थे जिनमें फाउण्डेशन सीधे तौर पर स्कूल स्तर पर किसी तरह का काम कर रहा था। सैम्पल में शासकीय ग्रामीण निम्न प्राथमिक स्कूल और उच्च प्राथमिक स्कूल का स्पष्ट प्रतिनिधित्व रहा। शहरी स्कूल प्राथमिकता में नहीं थे, वे उच्च शहरी घनत्व वाले ब्लॉक में सिर्फ नमूने के तौर पर शामिल रहे। इसी तरह, ब्लॉक के भीतर कुछ जगहों पर सुविधानुसार सैम्पलिंग का सन्दर्भ निर्माण करने का प्रयास किया गया। हालाँकि विभिन्न स्कूलों के चयन के लिए डाइस कोड को पहचान चिन्ह के रूप में इस्तेमाल किया गया, पर ये कोशिश की गई कि एक ही परिसर में स्थित स्कूलों से विभिन्न प्रकार के स्कूल (जैसे कि निम्न प्राथमिक और उच्च प्राथमिक) लेने से बचा जाए।

तालिका 1 : स्कूल और अध्यापक जो अध्ययन में लिए गए : राज्य–वार

राज्य	स्कूलों की संख्या	अध्यापकों की संख्या
छत्तीसगढ़	129	660
राजस्थान	199	1040
उत्तराखण्ड	189	557
अन्य*	102	604
कुल	**619**	**2861**

* बिहार, कर्नाटक और मध्यप्रदेश

यह अध्ययन छह राज्यों में चला और 619 स्कूलों में भ्रमण किया गया, जिनमें कुल 2861 अध्यापक नियुक्त हैं।

2.3 जानकारी इकट्ठा करना (डेटा कलेक्शन) और विश्लेषण

जानकारी लेने के लिए तीन तरह के प्रपत्रों का इस्तेमाल किया गया : (1) स्कूल प्रपत्र, स्कूल के बारे में बुनियादी जानकारी के लिए; (2) अध्यापक अनुपस्थिति प्रपत्र, अघोषित तिथि में स्कूल भ्रमण के दौरान अध्यापक अनुपस्थिति से जुड़ी जानकारी दर्ज करने के लिए; और (3) अध्यापक प्रपत्र, स्कूल के प्रत्येक अध्यापक के बारे में बुनियादी जानकारी के लिए। ये तीनों प्रपत्र 'अध्यापक अनुपस्थिति की प्रवृत्ति' पर पहले हुए अध्ययनों पर आधारित थे और आंतरिक समीक्षा एवं फीडबैक की प्रक्रिया के बाद इन्हें अन्तिम रूप दिया गया। बहुस्तरों पर प्रपत्रों का उपयोग करने वाली टीम के साथ अध्ययन की रूपरेखा, प्रपत्रों और जानकारी इकट्ठी करने की योजना व प्रक्रिया के सन्दर्भ में प्रशिक्षण कार्यशाला की गई।

2.4 निष्कर्ष

तालिका 2 : अनुपस्थिति दर (प्रतिशत में)- कुल एवं अध्यापकवार विशिष्टता

	उपस्थित	अनुपस्थित
कुल अध्यापक	**81.1**	**18.9**
पदानुसार		
प्रधान अध्यापक	83.5	16.5
अन्य अध्यापक (प्रधान अध्यापक नहीं)	80.4	19.6
लिंग आधार पर		
महिला अध्यापक	83.8	16.2
पुरुष अध्यापक	78.4	21.6
अकादमिक योग्यतानुसार		
हाई स्कूल या उससे नीचे	77.9	22.1
हायर सेकण्डरी	83.6	16.4
स्नातक	78.9	21.1
स्नातकोत्तर	82.0	18.0
व्यावसायिक दक्षता के आधार पर		
अप्रशिक्षित	66.1	33.9
कम से कम दो साल की अवधि वाले बुनियादी अध्यापक प्रशिक्षण में प्रमाणपत्र या डिप्लोमा (डी.एड. सहित)	81.3	18.7
बी.एड (या बी.एल.एड)	82.1	17.9
कोई अन्य	73.5	26.5
अध्यापक संगठनों में पदभार हैसियत के आधार पर		
पद में	76.9	23.1
पद में नहीं	81.4	18.6

अध्ययन के लिए जानकारी इकट्ठी करने का काम अगस्त-सितम्बर 2016 में किया गया। अकादमिक सत्र में यह अपेक्षाकृत स्थिर समय होता है। त्यौहारों का, छुट्टियों का या और किसी भी तरह का अपेक्षाकृत कोई व्यवधान नहीं होता है। स्कूलों का भ्रमण करने वाली टीमों ने भ्रमण की योजना बनाई ताकि वे हर स्कूल में 2-3 घण्टे (कम से कम) बिता सकें, और वह भी

स्कूल समय के बीच। जानकारी इकट्ठी करने के इरादे से किए जाने वाले स्कूल भ्रमण का दिन पहले से **घोषित नहीं किया** गया और इसी दिन 'अध्यापक अनुपस्थिति' को दर्ज किया गया। अध्ययन के लिए अध्यापक अनुपस्थिति को इस तरह परिभाषित किया गया–स्कूल **भ्रमण की अवधि** में और **उस दिन** अध्यापक का स्कूल में भौतिक रूप से उपस्थित न होना। अध्यापक अनुपस्थिति प्रपत्र, भ्रमण के लिए तय दिन पर ही भरा गया, लेकिन कुछ मामलों में दूसरे प्रपत्रों से सम्बन्धित जानकारी बाद में किए गए भ्रमण पर भरी गईं।

इस भाग में सभी 6 राज्यों से प्राप्त प्रमुख निष्कर्षों का सार प्रस्तुत किया गया है। कुल अनुपस्थिति जो पाई गई वह 18.9 प्रतिशत रही। जिन 2442 अध्यापक प्रेक्षण के आधार पर अनुपस्थिति सम्बन्धी जानकारी दर्ज की गई उनमें से 462 अध्यापक अनुपस्थित रहे।[1] यह मुरलीधरन (2016) की रिपोर्ट में बताई गई दर से थोड़ा कम है और एनुअलस्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (असर) के प्रेक्षणों के काफी नजदीक है, जो कि सालों–साल यह बताती रही है कि सरकारी स्कूलों में अध्यापक अनुपस्थिति ज्यादातर राज्यों में 20 प्रतिशत से कम है (प्रथम 2017)। व्यक्तिगत रूप से अध्यापक स्तर की विभिन्न विशिष्टताओं के अनुसार अनुपस्थिति दर में अन्तर देखे गए और इनकी चर्चा तालिका–2 में की गई है। प्रधान अध्यापकों की अनुपस्थिति दर (16.5 प्रतिशत) अन्य अध्यापकों की अनुपस्थिति दर (19.6 प्रतिशत) से कम है। महिला अध्यापकों की अनुपस्थिति दर (16.2 प्रतिशत) पुरुष अध्यापकों की अनुपस्थिति दर (21.6 प्रतिशत) से तकरीबन 5 प्रतिशत तक कम है। अकादमिक योग्यता एवं व्यावसायिक योग्यता दोनों के आधार पर अध्यापक अनुपस्थिति में उल्लेखनीय अन्तर नजर आया। हाईस्कूल या उससे नीचे की अकादमिक योग्यता वाले अध्यापकों (22.1 प्रतिशत) एवं व्यावसायिक योग्यता के सन्दर्भ में अप्रशिक्षित अध्यापकों (33.9 प्रतिशत) में अनुपस्थिति दर उच्चतम रही। अध्यापक संगठनों में किसी प्रकार का पद रखने वाले अध्यापकों में (23.1 प्रतिशत) अनुपस्थित दर, पद न रखने वाले अध्यापकों (18.6 प्रतिशत) की तुलना में ज्यादा पाई गई। इनमें से कुछ निष्कर्ष मौजूदा अध्ययनों से भिन्न जान पड़ते हैं जबकि कुछ अन्य निष्कर्ष इन अध्ययनों के अवलोकनों से मेल खाते हैं। उदाहरण के लिए क्रेमेर का अध्ययन पाता है कि प्रधान अध्यापकों और पुरुष अध्यापकों में अनुपस्थिति दर अन्य अध्यापकों एवं महिला अध्यापकों, दोनों की तुलना में अधिक है। इसके लिए वे निम्नांकित सम्भावित कारण बताते हैं– 'वरिष्ठ, अधिक शिक्षित और अनुभवी अध्यापकों में अनुपस्थिति की उच्च दर को उनकी हैसियत (रुतबे) के तर्क से समझा जा सकता है। इसी तर्क आधार पर इस निष्कर्ष को देखा जा सकता है कि पुरुष स्पष्ट रूप से महिलाओं की तुलना में ज्यादा अनुपस्थित रहते हैं' (2005:662)। मुरलीधरन और सुंदररामन (2013) के अध्ययन का यह निष्कर्ष कि ज्यादा योग्य और प्रशिक्षित नियमित अध्यापक, कम योग्यता वाले और अप्रशिक्षित अध्यापकों (जो कि ज्यादातर संविदा अध्यापक होते हैं) की तुलना में अधिक अनुपस्थित रहते हैं, हमारे अध्ययन में इसकी पुष्टि नहीं होती।

बहरहाल अध्यापक संगठनों में पद हैसियत रखने वाले अध्यापकों में अनुपस्थिति की उच्चतर दर दूसरे अध्ययनों के निष्कर्षों जैसी ही है जिसमें बताया गया कि अध्यापक संगठनों के जुड़ाव के अर्थ में अध्यापकों की राजनैतिक पहुँच उन्हें आधिकारिक जवाबदेही की अवहेलना करने में मदद करती है (किंगडन और मुजामिल 2003; बैटिल 2009)।

तालिका 3 : अनुपस्थिति के लिए बताए गए कारण

	आधिकारिक कार्य			अधिकृत छुट्टी	बिना कारण अनुपस्थिति
	अकादमिक	स्कूल प्रशासनिक	अन्य विभागीय		
कुल अध्यापक :					
अनुपस्थिति दर कुल प्रेक्षणों के प्रतिशत रूप में आकलित *	3.8	2.1	0.9	9.1	2.5

[1] सभी गणनाएँ सिर्फ सम्बंधित बिन्दुओं के लिए मिली औपचारिक रूप से दर्ज जानकारी पर ही आधारित हैं।

तालिका 3 : अनुपस्थिति के लिए बताए गए कारण

	आधिकारिक कार्य			अधिकृत छुट्टी	बिना कारण अनुपस्थिति
	अकादमिक	स्कूल प्रशासनिक	अन्य विभागीय		
पदानुसार : *अनुपस्थिति दर कुल अनुपस्थिति के प्रतिशत रूप में आकलित*					
प्रधान अध्यापक	24.4	18.9	4.4	35.6	16.7
अन्य अध्यापक (प्रधान अध्यापक नहीं)	19.7	9.4	5.3	52.6	13.1
लिंग के आधार पर : *अनुपस्थिति दर कुल अनुपस्थिति के प्रतिशत रूप में आकलित*					
महिला अध्यापक	15.2	6.5	4.1	61.8	12.4
पुरुष अध्यापक	25.6	15.8	6.0	37.6	15.0

* चूँकि 'कुल अनुपस्थिति' और 'अनुपस्थिति के कारण' की गणना, सम्बन्धित बिन्दुओं के लिए मिली औपचारिक रूप से दर्ज जानकारी पर आधारित है, इसलिए सम्बन्धित कुल योग में थोड़ा अन्तर है।

जो अध्यापक स्कूल भ्रमण के दौरान उपस्थित नहीं थे, उनकी अनुपस्थिति के कारणों को चार श्रेणियों में दर्ज किया गया : (1) 'आधिकारिक अकादमिक कार्य', जैसे कि दूसरे स्कूल में पढ़ाने के लिए अस्थायी प्रतिनियुक्ति, प्रशिक्षण, क्लस्टर मीटिंग, और एन.जी.ओ. द्वारा आयोजित प्रशिक्षण; (2) 'आधिकारिक स्कूल प्रशासनिक कार्य' जैसे कि जानकारी एकत्र करना, मध्याह्न भोजन से सम्बन्धित रिपोर्ट/आँकड़े जमा करना, विशेष जरूरतों वाले बच्चे एवं अन्य प्रोत्साहन योजनाएँ; (3) 'आधिकारिक अन्य विभागीय कार्य' जैसे चुनाव या स्वास्थ्य सम्बन्धी काम, अन्य विभागों की योजनाएँ,और पंचायत बैठकें; (4) 'अधिकृत छुट्टी' जैसे कि सी.एल. एवं मेडिकल लीव और (5) 'बिना कारण के अनुपस्थिति'। तालिका 3 दिखाती है कि स्कूल भ्रमण के दौरान जो उपस्थित नहीं थे, उनके सन्दर्भ में अनुपस्थिति के दर्ज कारणों में से सबसे ज्यादा 'अधिकृत छुट्टी' 9.1 प्रतिशत रहा, इसके बाद 'आधिकारिक अकादमिक कार्य', 3.8 प्रतिशत और 'बिना कारण के अनुपस्थिति' 2.5 प्रतिशत रही। इस तरह देखें तो अध्यापक अनुपस्थिति की प्रवृत्ति, जो कि 'बिना किसी कारण के अनुपस्थित रहना' है वह महज 2.5 प्रतिशत पाई गई। यह कुल अध्यापक प्रेक्षण के प्रतिशत रूप में आकलित अनुपस्थिति है। कर्तव्य की अवहेलना वाली श्रेणी, जिसे बिना कारण के अनुपस्थित रहना कहा जाता है, उसकी दरें दूसरे अध्ययनों में भी काफी कम देखी गई हैं। मुरलीधरन (2016) के अध्ययन में यह 4 से 5 प्रतिशत बताई गई। फिर भी यह ऐसा पहलू है जो व्यापक अध्यापक जवाबदेही विमर्श में कम उभरता जान पड़ता है। हमारे अध्ययन में अध्यापकों से भी विभिन्न श्रेणियों में होने वाली अनुपस्थिति के विशिष्ट कारण पूछे गए। स्पष्ट रूप से, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण– डाइट, ब्लॉक एवं क्लस्टर पर होने वाले सेवा कालीन (इन सर्विस) अध्यापक प्रशिक्षण, एस.एम.सी. प्रशिक्षण, गैर–शासकीय संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रशिक्षण, यही सब कारण आधिकारिक अकादमिक कार्य की वजह से होने वाली अनुपस्थिति में बार–बार दिखाई पड़ते हैं। जानकारी एकत्र करना और वरिष्ठ अधिकारियों को भेजना और मध्याह्न भोजन सम्बन्धी कार्य, 'आधिकारिक प्रशासनिक कार्य' श्रेणी में होने वाली अनुपस्थिति के प्रमुख कारण रहे। चुनाव ड्यूटी, विभिन्न जनगणना सर्वे और पंचायत मीटिंग जैसे कार्य 'आधिकारिक अन्य विभागीय कार्य' श्रेणी में होने वाली अनुपस्थिति के प्रमुख कारण देखे गए। उपस्थित अध्यापकों से यह भी पूछा गया कि यदि उनके सहकर्मी अनुपस्थित रहते हैं तो उनका काम और व्यवस्था किस तरह प्रभावित होते हैं।ज्यादातर जवाब जो मिले वे यह इंगित करते हैं कि ऐसी स्थिति में 'अध्यापक संयुक्त कक्षाएँ लगा लेते हैं', 'कक्षाएँ किसी स्थानापन्न अध्यापक द्वारा ली गईं', या 'अध्यापक ने बच्चों को व्यस्त रखने के लिए कुछ काम दे दिया'।

तालिका–3, प्रधान अध्यापकों एवं अन्य अध्यापकों और महिला एवं पुरुष अध्यापकों के बीच अनुपस्थिति के कारणों में अन्तर दिखाती है। 'आधिकारिक प्रशासनिक कार्य' और 'आधिकारिक अकादमिक कार्य', दोनों ही कारणों में प्रधान अध्यापकों एवं अन्य अध्यापकों के बीच अन्तर बिल्कुल स्पष्ट है। इनमें प्रधान अध्यापकों की अनुपस्थिति दर अन्य

अध्यापकों की तुलना में क्रमश: 9 और 5 प्रतिशत अधिक रही। बहरहाल 'अधिकृत छुट्टी' वाली श्रेणी में प्रधान अध्यापकों की अनुपस्थिति दर (35.6 प्रतिशत), अन्य अध्यापकों (52.6 प्रतिशत) की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम है। आधिकारिक अकादमिक कार्य की श्रेणी में लिंग के आधार पर स्पष्ट अन्तर देखा गया। पुरुष अध्यापकों में यह दर (25.6 प्रतिशत) और महिला अध्यापकों में (15.2 प्रतिशत) रही, जो कि 10 प्रतिशत का अन्तर बताती है। इसी तरह से 'आधिकारिक स्कूल प्रशासनिक कार्य' के लिए भी पुरुष अध्यापकों (15.8 प्रतिशत) की अनुपस्थिति दर, महिला अध्यापकों (6.5 प्रतिशत) की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है। हालाँकि 'अधिकृत छुट्टी' के मामले में महिला अध्यापकों (61.8 प्रतिशत) की अनुपस्थिति दर, पुरुष अध्यापकों (37.6 प्रतिशत) की तुलना में लगभग 25 प्रतिशत ज्यादा है।

तालिका 4 : अध्यापक एवं स्कूल के स्तर पर विभिन्न पहलुओं के साथ औसत अध्यापक अनुपस्थिति सह सम्बन्ध

	औसत शिक्षक अनुपस्थिति
सह सम्बन्ध	
शिक्षक की उम्र (वर्ष)	
उम्र < = 30	21.9
30 < उम्र < = 40	19.0
40 < उम्र < = 50	17.4
उम्र > 50	19.5
आने जाने में लगने वाला समय (घण्टे)	
समय < = 1	18.6
1 < समय < = 2	16.9
समय > 2	31.8
स्कूल की स्थिति	
ग्रामीण	18.7
शहर	19.7
स्कूल की श्रेणी	
केवल प्राथमिक (कक्षा 1–5)	18.8
उच्च प्राथमिक के साथ प्राथमिक (कक्षा 1–8)	17.9
केवल उच्च प्राथमिक (कक्षा 6–8)	20.9
उच्च स्तर से प्रशासनिक निगरानी	
उच्च अधिकारी भ्रमण पर नहीं आए	18.1
उच्च अधिकारी भ्रमण पर आए	18.6
निचले स्तर से निगरानी	
अगस्त 2016 से पहले एस.एम.सी. की बैठक	18.7
अगस्त 2016 में या इसके बाद एस.एम.सी. की बैठक	18.2
एम.जी.एम.एल. का चलन	
एम.जी.एम.एल. का इस्तेमाल नहीं होता	18.5
एम.जी.एम.एल. का इस्तेमाल होता है	18.4
स्कूल में सुविधाएँ	
शौचालय	
उपलब्ध नहीं हैं या हैं पर इस्तेमाल में नहीं हैं	16.1
उपलब्ध हैं और इस्तेमाल में हैं	18.2

तालिका 4 : अध्यापक एवं स्कूल के स्तर पर विभिन्न पहलुओं के साथ औसत अध्यापक अनुपस्थिति सह सम्बन्ध

	औसत शिक्षक अनुपस्थिति
स्कूल में सुविधाएँ	
पीने का पानी	
उपलब्ध नहीं हैं या हैं पर इस्तेमाल में नहीं हैं	18.7
उपलब्ध हैं और इस्तेमाल में हैं	17.9
बिजली	
उपलब्ध नहीं हैं या हैं पर इस्तेमाल में नहीं हैं	18.5
उपलब्ध हैं और इस्तेमाल में हैं	17.8
टेबिल और कुर्सी	
उपलब्ध नहीं हैं या हैं पर इस्तेमाल में नहीं हैं	25.1
उपलब्ध हैं और इस्तेमाल में हैं	17.4

अध्ययन, अध्यापक स्तर एवं स्कूल स्तर के कई सारे बिन्दुओं के साथ औसत अध्यापक अनुपस्थिति के सह–सम्बन्धों का विश्लेषण भी करता है (तालिका 4)। अध्यापक स्तर पर औसत अध्यापक अनुपस्थिति दर में अध्यापकों की उम्र के सन्दर्भ में ज्यादा अन्तर नहीं दिखा। 40 से लेकर 50 साल की उम्र वाले अध्यापकों में औसत अनुपस्थिति 17.4 प्रतिशत रही जबकि 30 साल या उससे कम की उम्र वालों में यह 21.9 प्रतिशत दिखी। आँकड़े यह भी दिखाते हैं कि ज्यादातर अध्यापकों के लिए स्कूल आने में लगने वाला समय लगभग 1 घण्टे या उससे कम है। कुछ ही अध्यापकों के लिए यह 2 घण्टे से अधिक पाया गया। जिन अध्यापकों को स्कूल पहुँचने में ज्यादा समय लगता है उनमें कम समय लगने वालों की तुलना में औसत अनुपस्थिति उल्लेखनीय रूप से ज्यायदा (31.8 प्रतिशत) पाई गई।

स्कूल स्तर के सह–सम्बन्धों को देखें तो ग्रामीण और शहरी स्कूलों में औसत अध्यापक अनुपस्थिति में कोई खास अन्तर नहीं दिखता। ग्रामीण में यह 18.7 प्रतिशत है तो शहरी में 19.7 प्रतिशत। इसी तरह विभिन्न श्रेणी के स्कूलों के बीच भी कोई खास अन्तर नहीं दिखाई देता। 'केवल प्राथमिक कक्षाएँ' वाली श्रेणी में यह 18.8 प्रतिशत,'उच्च प्राथमिक कक्षाओं सहित प्राथमिक' में यह 17.9 प्रतिशत और 'केवल उच्च प्राथमिक कक्षाओं' वाली श्रेणी में औसत अनुपस्थिति 20.9 प्रतिशत पाई गई।

'उच्च स्तर से होने वाली निगरानी' एवं 'निचले स्तर से होने वाली निगरानी' दोनों के साथ ही अध्यापक अनुपस्थिति का जुड़ाव जाँचा गया।[2] जिन स्कूलों (18.6 प्रतिशत) में पिछले तीन महीनों में अधिकारियों का भ्रमण हुआ और जिन स्कूलों (18.1 प्रतिशत), में नहीं हुआ उनमें औसत अध्यापक अनुपस्थिति में कुछ खास अन्तर नहीं दिखा। इसी तरह जिन स्कूलों में एस.एम.सी. की बैठक अगस्त 2016 से पहले हुई थी (18.7 प्रतिशत) और जिनमें एस.एम.सी. की बैठक अगस्त 2016 में या इसके बाद हुई थी (18.2 प्रतिशत), दोनों में ही औसत अध्यापक अनुपस्थिति में कोई उल्लेखनीय अन्तर नहीं दिखा। एम.जी.एम.एल. के चलन वाले (18.4 प्रतिशत) एवं एम.जी.एम.एल. का इस्तेमाल नहीं करने वाले स्कूलों (18.5 प्रतिशत) में औसत अध्यापक अनुपस्थिति में भी कुछ खास अन्तर नहीं रहा।[3]

[2] 'उच्च स्तर से होने वाली निगरानी' को जिला एवं ब्लॉक स्तर के अधिकारियों द्वारा पिछले तीन महीनों में किये गये स्कूल भ्रमण के रूप में लिया गया है और 'निचले स्तर से होने वाली निगरानी' को पिछली एसएमसी की बैठक से जोड़कर देखा गया है।

[3] एमजीएमएल के चलन वाले कॉलम में 'हाँ' का मतलब है उस स्कूल में एमजीएमएल का चलन आधिकारिक एवं अनाधिकारिक दोनों रूप से है।

औसत अध्यापक अनुपस्थिति को स्कूल स्तर की सुविधाओं के सन्दर्भ में भी विश्लेषित किया गया। जैसे कि शौचालय, पीने का पानी, बिजली एवं कक्षा फर्नीचर आदि की उपलब्धता और उपयोग में होना। जिन स्कूलों में *ये सुविधाएँ थीं* और जिन स्कूलों में *ये सुविधाएँ नहीं थीं* या *होने के बाद भी इस्तेमाल में नहीं थीं* उनके बीच सिर्फ कक्षा फर्नीचर (टेबिल और कुर्सी) को छोड़कर और किसी भी बिन्दु के अन्तर्गत औसत अध्यापक अनुपस्थिति में कोई उल्लेखनीय अन्तर नहीं मिला।

कुल मिलाकर अध्यापक एवं स्कूल दोनों ही स्तरों पर अनुपस्थिति के सम्भावित सह-सम्बन्धों के साथ अध्यापक अनुपस्थिति का विश्लेषण बताता है कि कुछ स्पष्ट व्यवस्थित मतभेद हैं।

2.5 अध्ययन की सीमाएँ (Caveats)

हालाँकि हमारा अध्ययन काफी व्यापक है, फिर भी अपने निष्कर्षों की व्याख्या करते समय कुछ सीमाओं का जिक्र पहले से ही किए जाने की जरूरत है :

1. यह सर्वेक्षण अपेक्षाकृत छोटे और सुविधानुसार सैम्पलिंग पर आधारित रहा। जिन जिलों/ब्लॉकों में अज़ीम प्रेमजी फाउण्डेशन का काम है, वहाँ प्रति ब्लॉक चयनित स्कूलों से हमने जानकारी जुटाई है। इसलिए अध्ययन किन्हीं व्यापक रूप से लागू होने वाले निष्कर्षों की महत्वाकांक्षा नहीं रखता।
2. इस अध्ययन में 'अनुपस्थिति' की परिभाषा स्कूल भ्रमण के दौरान और सिर्फ उस दिन के लिए भौतिक रूप से अध्यापक का उपस्थित न होना थी। यह दो वजहों से थी, एक तो पूरे दिन के लिए प्रत्येक स्कूल को कवर करने के लिए संसाधन (मैदानी कार्यकर्ताओं के रूप में समय) सीमित था और दूसरा हम स्कूल के नियमित काम में व्यवधान नहीं पहुँचाना चाहते थे। बहरहाल ज्यादातर स्कूलों में बीच के समय में भ्रमण किया गया और प्रत्येक स्कूल में लगभग स्कूल का आधा समय जानकारी जुटाने में व्यतीत किया गया।
3. यह एक बार होने वाला अध्ययन था। इसलिए, अध्यापकों की अनुपस्थिति और मौसमी विभिन्नताओं के विवरण पर अन्तर-स्कूल अवलोकनों की विश्वसनीयता को देखने के लिए बार-बार किया जाने वाला भ्रमण इस योजना का हिस्सा नहीं था।

3. गुणात्मक केस स्टडीज

अध्ययन के इस खण्ड में सात विस्तृत केस स्टडीज दी गई हैं। ये अध्ययन, खास प्रयोजन से चुने गए स्कूलों के हैं। ये स्कूल उन जिलों और राज्यों के हैं जहाँ अज़ीम प्रेमजी फाउण्डेशन की उपस्थिति है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों से विचार-विमर्श कर, मौजूद अध्ययनों में अध्यापक अनुपस्थिति की दृष्टि से हाई रिस्क के चिह्नित मापदण्ड पर इन्हें चुना गया (जैसे कि दूरदराज स्थित होना, पहुँच में कठिनाई होना; स्कूल में मूलभूत सुविधाओं की खराब दशा; और उच्च अध्यापक विद्यार्थी अनुपात)। ये वे स्कूल हैं जहाँ अध्यापक अनुपस्थिति की प्रवृत्ति के मुद्दे के इर्दगिर्द किसी भी तरह की कोई जाहिर चिन्ता नहीं दिखी।[4] इस तरह ये केस स्टडीज, एक स्तर पर संख्यात्मक अध्ययन के निष्कर्षों की अनुपूरक हैं जो बताती हैं कि व्यवस्था में अनाधिकृत अध्यापक अनुपस्थिति-वास्तविक अध्यापक अनुपस्थिति की प्रवृत्ति- उस चिन्ताजनक अनुपात में नहीं है जैसा वर्तमान शिक्षा नीति विमर्श में उभारा गया है। दूसरे स्तर पर ये स्टडीज उन व्यवस्थागत एवं व्यक्तिगत चुनौतियों के लिए एक अन्तर्दृष्टि देती हैं जिनसे अध्यापक, सरकारी स्कूली व्यवस्था के अन्तर्गत रोज जूझते हैं। ये स्टडीज बताती हैं कि इन चुनौतियों के बाद भी किस तरह अध्यापक अपने काम के प्रति अनुकरणीय प्रतिबद्धता और संकल्प का परिचय देते हैं। यह अन्तर्दृष्टि उस व्यापक मानक दलील से सम्बद्ध है जो यह अध्ययन, अध्यापक अनुपस्थिति की प्रवृत्ति के मुद्दे के सन्दर्भ में रखना चाहता है।

---

[4]गोपनीयता बनाये रखने के लिए सभी प्रतिभागियों और सहयोगियों [शिक्षक, विद्यार्थी, अधिकारियों और अभिभावकों] के साथ ही साथ स्कूलों, गाँवों एवं अन्य आसानी से पहचानी जा सकने वाली जगहों के असल नामों की जगह छद्मनाम इस्तेमाल किये गये हैं।

जैसा कि इन केस स्टडीज से दिखता है, स्कूल का दूरदराज स्थित होना, पहुँच में कठिनाई, अध्यापकों की कमी, पर्याप्त मूलभूत सुविधाओं की कमी, मल्टीग्रेड कक्षाएँ, और वंचित तबके के बच्चे जिन्हें घर में पर्याप्त सहयोग नहीं मिल पाता, जैसी तमाम तरह की समस्याओं और कठिन परिस्थितियों के बावजूद, सभी सातों स्कूलों में हम अध्यापकों को देखते हैं जो स्कूल में पूरी तरह से उपस्थित रहते हैं और नियमित व पाबन्द रूप से स्कूल आना सुनिश्चित करते हैं, और पूरे मनोयोग से एक अध्यापक के रूप में अपने काम में जुटे रहते हैं। ये अध्यापक अपने काम में जिस तरह जुटे हुए दिखते हैं वह सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के रवैये और व्यवहार के प्रति प्रचलित धारणा या नजरिए को चुनौती देता है। इन केस स्टडीज में ऐसे समर्पित और लगनशील अध्यापकों का उल्लेख है जो कई बार तो बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, पर अपने प्रयासों में खूब ऊर्जा लगाते हैं। सवाल उठता है कि आखिर वह क्या चीज है जो तमाम मुसीबतों के बाद भी इन अध्यापकों को आगे बढ़ाती है और इन्हें हर रोज स्कूल आने और अपनी तरह से उन्हें अपना काम करने को प्रेरित करती है ?

अपने साक्षात्कार में बहुत से अध्यापकों ने बहुत ही साफ तौर पर कहा कि वे किसी आदर्श विचार, जैसे कि पढ़ाने के जुनून, बच्चों से प्यार या समाज सुधार की तड़प के चलते शिक्षण के पेशे में नहीं आए हैं। बल्कि उन्होंने इसे सुविधा, अवसर की उपलब्धता, आर्थिक कारण या इसी तरह के दूसरे अन्य कारणों से चुना। लेकिन जैसा कि अध्यापकों ने यह भी बताया, एक समय के बाद उन्हें अपने ही काम की सार्थकता और महत्व समझ में आने लगा और अब वह उनकी लगन और प्रेरणा बन गया है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यह बच्चों के साथ या प्रेरणादायी सहकर्मियों के साथ मिले किसी खास अनुभव के कारण हुआ हो; पर शायद यह शिक्षण पेशे की प्रकृति के कारण ही है। दूसरे शब्दों में कहें तो एक सक्षम बनाने वाला और सकारात्मक किस्म का वातावरण दिया जाए, जो साझापन और भरोसा बढ़ाता हो तो अध्यापक खुद से समर्पित एवं अभिप्रेरित होकर काम करते हैं और बिना किसी बाहरी देखरेख या निगरानी के खुद को जवाबदेह मानते हैं। ये मानक जो उनके व्यवहारों को प्रेरित करते हैं वही उन्हें जवाबदेह भी बनाते हैं। हालाँकि ये सातों मामले पृष्ठभूमि और इनकी अपनी चुनौतियों के लिहाज से अपने आप में अनूठे हैं, फिर भी इन सातों किस्सों में समानता के कुछ सूत्र उभरते हैं।

पहला, पहुँचने की कठिनाई और आने–जाने की चुनौतियों के बावजूद अध्यापक पूरी तरह से उपस्थित देखे गए। यहाँ तक कि व्यक्तिगत असुविधा और पर्याप्त मात्रा में खर्च उठाकर भी अध्यापक स्कूल पहुँचे हैं। उदाहरण के लिए कुफारगीर स्कूल (केस स्टडी–3) वाले मामले में अध्यापकों ने गाँव में ही ठहरना तय किया ताकि वे समुदाय को बेहतर समझ सकें और स्कूल समय के अलावा भी बच्चों के साथ सीखने–सिखाने की गतिविधियों में लगे रह सकें। बसारपुर स्कूल (केस स्टडी–4) में अध्यापक कई साधन बदलकर और काफी समय लगाकर स्कूल पहुँच पाते हैं। उत्तराखण्ड के सभी तीनों स्कूलों में, राज्य के दूसरे स्कूलों की ही तरह, अध्यापकों को किराये की एक टैक्सी साझा करके आना होता है। इस आने–जाने की व्यवस्था में उनके काफी पैसे खर्च होते हैं। फिर भी इन अध्यापकों के बारे में बताया गया और देखा भी गया कि वे समय के पाबन्द और नियमित हैं। उनकी यह लगन सिर्फ स्कूल के भीतर प्रयास करने तक सीमित नहीं है। समुदाय को स्कूल की प्रक्रियाओं में शामिल करने के प्रयास में भी उनकी यह लगन दिखती है। अक्सर यह बहुत ही कठिनाई वाला काम है। क्योंकि गरीबी, निरक्षरता एवं असमर्थता के कारण सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित अभिभावक न तो अपने बच्चों के रोज–ब–रोज के स्कूली मसलों में घुसते हैं और न ही सार्वजनिक संस्थान के रूप में स्कूल से जुड़ पाते हैं।

दूसरा, व्यक्तियों के रूप में इन अध्यापकों और इनके व्यवहारों में इन बच्चों और समुदाय की जरूरत और परिवेश (वंचित और बहिष्कृत) के प्रति सहानुभूति झलकती है। साथ ही लिंग एवं समता के मुद्दे के प्रति संवेदनशीलता और बच्चों के साथ काम और उनकी बातचीत में समानता का पक्का भाव दिखता है। उदाहरण के लिए मांडेहल्ली स्कूल (केस स्टडी–7) में अध्यापकों को बच्चों की जरूरतों और स्कूल की बेहतरी के लिए अपने जेब से खर्च करते देखा गया। इस बात की पुष्टि स्कूल विकास एवं प्रबन्धन समिति (एस.डी.एम.सी.) के सदस्य ने की। रूपारपुर स्कूल (केस स्टडी–6) में देखा गया कि अध्यापक मध्याह्न भोजन जैसी स्कूली गतिविधियों में सामाजिक समता के वातावरण को बढ़ावा देने में जुटे रहते हैं और आपस में व बच्चों से बातचीत में बराबरी का रिश्ता बनाए रखते हैं। ज्यादातर स्कूलों में कक्षा–कक्ष प्रक्रियाओं के दौरान बच्चों के प्रति गहन संवेदनशीलता देखी गई। अध्यापक, कमजोर बच्चों को कई तरह से मदद कर रहे थे। जबकि इनमें से कुछ स्कूल विशिष्ट मल्टी–ग्रेड श्रेणी वाले रहे।

तीसरा, लगभग सभी स्कूलों में स्कूल वातावरण, भरोसे का सहज और साथीपन की संस्कृति से भरपूर था। अक्सर यह प्रधान अध्यापक के प्रयासों से शुरू और समर्थित रहा किन्तु रोज-रोज के काम के अर्थों में इसे सभी अध्यापकों द्वारा बनाए रखा गया। इस तरह के माहौल में स्कूल प्रक्रियाओं को लेकर जिम्मेदारी के प्रति एक साझेपन का बोध दिखा। साझेपन का यह बोध सौंपे गए काम से आगे बढ़कर, एक संस्थान के रूप में स्कूल के प्रति जिम्मेदारी तक दिखाई देता है। जिसमें सम्बन्धित लोगों, जैसे कि समुदाय और शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी-कर्मचारियों से बातचीत सम्मिलित है। उदाहरण के लिए सभी स्कूलों में अध्यापक, प्रधान अध्यापक की अनुपस्थिति में स्वयं निर्णय लेते व विभिन्न स्कूली प्रक्रियाओं की जिम्मेदारी एक के बाद एक, क्रम से सम्भालते दिखे। साथ ही वे यह भी सुनिश्चित करते दिखे कि कार्यालयीन कार्य या अन्य किसी कारण से यदि कोई सहकर्मी अनुपस्थित है तो इसकी वजह से पढ़ाई-लिखाई प्रभावित न हो। यह भी देखा गया कि अपने काम को लेकर वे अपने ही बीच समीक्षा की प्रक्रिया चलाते हैं। यह समीक्षा या तो वे औपचारिक रूप से महीने के अन्त में या फिर अपने रोज के क्रम में छोटी और तुरन्त होने वाली बैठकों में कर लेते हैं। सहकर्मियों में आपसी भरोसा और आदर दिखा, जहाँ एक अध्यापक, तीसरे अध्यापक की लम्बी अनुपस्थिति (केस स्टडी-2) में स्कूल में पढ़ाई-लिखाई का आधा भार स्वेच्छा से सम्भाल सकता है। और जहाँ अध्यापक किसी पाठ्यवस्तु को नहीं जानने पर, स्वीकारने में और उसे समझने में प्रधान अध्यापक से मदद माँगने में कोई झिझक या शर्मिन्दगी महसूस नहीं करता (केस स्टडी-6)।

अन्ततः सभी स्कूलों में प्रधान अध्यापक थे, भले ही वे नियमित हों या प्रभारी। उनकी पक्की समझ दिखी कि वे अपने स्कूल में और अपने स्कूल के लिए क्या देखना चाहते हैं। उनमें से कइयों के लिए यह दृष्टि, जिए गए अनुभव, सरकारी स्कूली व्यवस्था में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से सामना और खुद के विकास के लिए व्यक्तिगत प्रयास के मिले-जुले चिन्तन से निकली है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि प्रधान अध्यापक अपने अनुकरणीय व्यवहार और मूल्यों के माध्यम से यही दृष्टि स्कूल के दूसरे अध्यापकों को प्रभावी तरीके से देते देखे जा सकते हैं। यह सब वे उन पेशेगत मूल्यों और मानकों का वातावरण बना कर करते हैं जिनकी वे पैरवी करते हैं और अपने स्कूल में जिनका चलन स्थापित करने के लिए काम करते हैं।

केस स्टडी 1 : शासकीय कन्या उच्च विद्यालय-उपरपुर, उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड

शासकीय कन्या उच्च विद्यालय, उपरपुर, उत्तराखण्ड जिले में डुण्डा ब्लॉक के उपरपुर पंचायत के अन्तर्गत उपरपुर गाँव में स्थित है। 118 घरों वाले इस गाँव की आबादी 660 है। आबादी का लिंगानुपात, प्रति 1000 पुरुष 1025 महिला है। कुल साक्षरता दर 77 प्रतिशत है। इसमें पुरुष साक्षरता 94 प्रतिशत और महिला साक्षरता 67 प्रतिशत है।

साल 2006 में यह स्कूल एक मन्दिर परिसर में शुरू हुआ था और फिर 2013 में अपने खुद के भवन में स्थानान्तरित हुआ। स्कूल में अभी भी पक्की इमारत और बिजली नहीं है और खेल का मैदान भी छोटा-सा है। वर्तमान में यहाँ कक्षा 6 से 8 में 44 बच्चे नामांकित हैं।

यह स्कूल ब्लॉक रिसोर्स सेंटर से 35 किलोमीटर, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस से 33 किलोमीटर और क्लस्टर रिसोर्स सेंटर से 18 किलोमीटर दूर है। पहुँच मार्ग और सार्वजनिक परिवहन लगभग है ही नहीं। स्कूल आने-जाने का एक ही तरीका है या तो खुद का वाहन हो या फिर किराए से कोई वाहन करके आना-जाना किया जाए। इसलिए स्कूल की अध्यापिकाएँ हर रोज एक साझा टैक्सी किराए से करके आती हैं। इसमें हर रोज उनके 100 रुपए खर्च होते हैं। बरसात के दिनों में जब टैक्सी सड़कों पर नहीं चलती, वे गाँव में ही रुकते हैं।

समुदाय के ज्यादातर लोग खेती या डेयरी का काम करते हैं। साल के ज्यादातर महीने वे 'छानी' (पहाडों पर अत्यधिक ऊँचाई वाले क्षेत्रों में बनी झोंपड़ी) में रहते हैं, अपने मवेशियों को भी अपने साथ रखते हैं और फिर दो या तीन महीनों के लिए गाँव में अपने घरों पर लौटते हैं। इस कारण, अभिभावक स्कूल सत्र के ज्यादातर समय में वहाँ होते ही नहीं हैं। अध्यापिकाओं ने बताया कि किस तरह वे इन 'गैरहाजिर अभिभावकों' के बच्चों के लिए खुद को ज्यादा जिम्मेदार देखते हैं : 'यदि अभिभावक अपने बच्चों की देखभाल नहीं करते तो अध्यापक को उनके लिए अभिभावक की जिम्मेदारी निभाना चाहिए और उन्हें अपने बच्चों की तरह मानना चाहिए।'

तालिका 1.1 अध्यापकों का ब्यौरा

अध्यापक का नाम	शालिनी (प्रधान अध्यापक)	अर्चना	प्रीत
लिंग	महिला	महिला	महिला
उम्र (साल)	46	45	40
सामाजिक श्रेणी	ओ.बी.सी.	ओ.बी.सी.	ओ.बी.सी.
अकादमिक योग्यता	एम.ए	एम.ए	एम.ए
व्यावसायिक योग्यता	बी.टी.सी	बी.टी.सी	बी.टी.सी
स्कूल में नियुक्ति का वर्ष	2006	2006	2014
कुल अनुभव (वर्ष)	26	26	17
अभी कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं	सामाजिक विज्ञान	भाषा	विज्ञान एवं गणित

स्कूल में तीन अध्यापक हैं- प्रधान अध्यापक (प्रभारी) शालिनी, और दो सहायक अध्यापक, अर्चना और प्रीत (तालिका 1.1)। प्रधान अध्यापिका इस स्कूल में 10 वर्षों से है; उसे स्कूली शिक्षा का 26 सालों का अनुभव है। इस स्कूल की स्थापना में उसने सक्रिय और रचनात्मक भूमिका निभाई है। स्कूल से अपने लम्बे जुड़ाव के कारण वह अभिभावक समुदाय में से ज्यादातर लोगों से परिचित है और बच्चों को अच्छी तरह जानती है। अन्य दो अध्यापिकाओं का भी कई सालों का अनुभव है, जैसा कि तालिका में देखा जा सकता है।

जिन तरीकों से ये जरूरतमंद बच्चों के लिए अतिरिक्त मदद का इन्तजाम करते हैं उनमें विद्यार्थियों के प्रति इन अध्यापिकाओं का सरोकार कई तरह से दिखा। वे इन बच्चों की मदद के लिए सहपाठी बच्चों को रोज काम सौंपते हैं। प्राथमिक कक्षा पढ़कर आए जरूरतमंद बच्चों के लिए वे पहले तीन महीने रेमेडियल कक्षाएँ आयोजित करती हैं ताकि वह कक्षा 6 का पाठ्यक्रम आसानी से कर सकें। अर्चना ने बताया कि विशेष जरूरत वाले बच्चों सहित उसने 'सभी बच्चों पर ध्यान देने' का प्रयास किया; इसके लिए उसने विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया। भाषा अध्यापिका के रूप में वह अक्सर बच्चों को समूह में काम देती है- कभी-कभी मिश्रित समूह और कभी-कभी उनकी स्थानीय भाषा के आधार पर समूह बनाकर। उसके अनुसार 'कभी-कभी हमें बच्चों को उनके बीच निर्देशित बातचीत करने का समय देना चाहिए, इसलिए मैं अपनी पाठ योजना इस दृष्टि से भी बनाती हूँ।' उसने बताया कि उसे यकीन रहा कि उसका काम असर दिखाएगा : 'मेरे बच्चे मेरे काम का असल परिणाम और जीता-जागता सबूत हैं।' उसने यह भी बताया कि किस तरह उसे यकीन रहा कि बच्चे प्रेम को समझते हैं-'बच्चे सीखेंगे; आपको सिर्फ उनका ध्यान रखना है। यदि आप उनसे प्यार करते हैं, तो वे भी आपसे प्यार करेंगे।'

अध्यापिकाओं ने अपने बीच में तय किया हुआ है कि अपनी सुविधा के अनुसार वे कौन-से विषय की जिम्मेदारी लेना चाहती हैं। अध्यापिकाओं के बीच यह भरोसे की संस्कृति बताता है। प्रधान अध्यापिका की अलमारी खुली रहती है और सभी अध्यापक इसमें से अभिलेख और दस्तावेज ले सकते हैं। प्रधान अध्यापिका के शब्दों में, 'यह मेरी निजी संपत्ति नहीं हैं, हम सब इस स्कूल परिवार के सदस्य हैं, इस तरह हम सभी को बराबर का अधिकार है।' स्कूल में शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत स्कूल प्रबन्धन समिति गठित है। समुदाय को स्कूल से जोड़ने के लिए अध्यापिकाओं का प्रयास तो दिखा पर समय के अभाव और जीविका की जद्दोजहद के कारण अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान देने में असमर्थ हैं। प्रधान अध्यापिका ने अभिभावकों को लगातार स्कूल में होने वाली बैठकों, कार्यक्रमों, आम सभा एवं विशिष्ट दिनों के मनाए जाने के सम्बन्ध में चिट्ठियाँ लिखी, लेकिन इन आयोजनों में अभिभावकों की उपस्थिति बहुत संतोषजनक नहीं रही। अध्यापिका नियमित रूप से बच्चों की प्रगति के बारे में अभिभावकों से साझा करती हैं और उनसे प्रतिक्रिया लेती हैं; फिर भी अभिभावक कुछ खास रुचि लेते हुए नहीं दिखे। अध्यापिकाओं ने बताया कि अभिभावकों के नहीं जुड़ने से किस तरह वे निराशा का अनुभव करती हैं। एक अध्यापिका ने बताया, 'पिछले महीने की बैठक के दौरान, मैंने अभिभावकों को उनके बच्चों के परिणाम दिखाए, लेकिन किसी ने भी उन मसलों पर बातचीत के लिए रुचि नहीं दिखाई। वे आए, परिणाम देखा, और अपने बच्चे या अध्यापिकाओं के प्रयास के बारे में बिना कुछ कहे अपने काम के लिए चल दिए।'

स्कूल प्रबन्धन समिति के प्रमुख संजय, गाँव के एक प्रभावशाली सदस्य हैं। उनकी राय रही कि समुदाय में शिक्षा और जागरूकता की कमी ही उनके इस व्यवहार की वजह है। उनके अनुसार अभिभावकों की मान्यता है कि स्कूल उनके बच्चों की शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी ले। बहरहाल अध्यापिकाओं के प्रयासों की सराहना करते हुए उसने कहा, 'हम सब ऐसी अध्यापिकाओं के आभारी हैं जिनका हमारे बच्चों के प्रति गहन समर्पण है। सिर्फ इस समर्पण की वजह से ही, हमारे गाँव के बच्चे पास के शासकीय इण्टर कॉलेज के.वी.एच. में, कई सालों से अच्छा प्रदर्शन कर पाने में सक्षम हुए हैं।' उसने आगे बताया कि किस तरह स्कूल प्रबन्धन समिति स्कूल की बेहतरी के लिए कुछ प्रयास कर रही है : 'यह हमारा प्यारा स्कूल है और हम सब मिलकर इसे बेहतर करते हैं। बच्चों के लिए खेल का मैदान समतल करते हैं और कंकरीट का बरामदा बनाते हैं।'

केस स्टडी 2 : शासकीय प्राथमिक विद्यालय- दूनसागर, देहरादून, उत्तराखण्ड

शासकीय प्राथमिक विद्यालय, दूनसागर 1932 में स्थापित हुआ था। देहरादून जिले में राजपुर ब्लॉक के 14 शासकीय स्कूलों में से यह एक है। यह स्कूल देहरादून कस्बे से कोई 25 किलोमीटर दूर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। स्कूल में जिला स्तर के अधिकारियों का भ्रमण मुश्किल से ही हो पाता है; हालाँकि क्लस्टर समन्वयक अक्सर स्कूल भ्रमण करता है। स्कूल में अभी 69 बच्चे हैं, जिनमें 38 लड़के और 31 लड़कियाँ हैं। कुकुरमुत्ते की तरह खुलने वाले निजी स्कूलों के कारण सरकारी स्कूलों में घट रहे नामांकन के उलट इस स्कूल में सत्र 2007-08 में 49 बच्चों के मुकाबले 2016-17 में नामांकन बढ़कर 69 बच्चे हो गया है (तालिका 2.1)। स्कूल में पर्याप्त मूलभूत सुविधाएँ हैं।

तालिका 2.1 : स्कूल में नामांकन

अकादमिक सत्र	नामांकन
2007–2008	49
2008–2009	56
2009–2010	54
2010–2011	60
2011–2012	61
2012–2013	61
2013–2014	64
2014–2015	73
2015–2016	78
2016–2017	69

स्कूल का दायरा काफी व्यापक है। यह 9 बसाहटों को कवर करता है जहाँ उनके नजदीक कोई सरकारी स्कूल नहीं हैं। बच्चों को स्कूल पहुँचने के लिए कभी-कभी 4 से 5 किलोमीटर तक पैदल चलना होता है। दूसरे स्कूलों का विकल्प होने के बाद भी अभिभावक अपने बच्चों के लिए इसी स्कूल को चुनते हैं। जैसे कि एक गाँव में अभिभावक ने अपने बच्चों को दूनसागर स्कूल भेजना चुना क्योंकि उसकी साख अच्छी है और क्योंकि उसके दूसरे बच्चे वहीं से पढ़े हैं। स्थानीय स्तर पर यह बात प्रचलित है कि यह सबसे अच्छे सरकारी स्कूलों में से एक है।

स्कूल के आसपास की आबादी में से एक बड़ा प्रतिशत 'सामान्य श्रेणी' का है। हालाँकि गाँव में कुछ अनुसूचित जाति के परिवार भी हैं जिनके बच्चे इसी सरकारी स्कूल में आते हैं। स्कूली प्रक्रियाओं में अभिभावक समुदाय का सहयोग और शामिलियत मध्यम स्तर का है।

स्कूल में तीन अध्यापिका हैं– लक्ष्मी, ज्योति और सुनीता। पहले वाले प्रधान अध्यापक के दूसरे स्कूल में स्थानान्तरित होने के बाद से लक्ष्मी, प्रभारी प्रधान अध्यापिका है। तालिका 2.2 प्रत्येक अध्यापक के बारे में एक संक्षिप्त ब्यौरा देती है।

तालिका 2.2 : अध्यापकों का ब्यौरा

अध्यापक का नाम	लक्ष्मी (प्रभारी प्रधान अध्यापक)	ज्योति (सहायक अध्यापक)	सुनीता (सहायक अध्यापक)
लिंग	महिला	महिला	महिला
उम्र (साल)	48	36	36
अकादमिक योग्यता	बी.ए	बी.एससी	एम.एससी, एम.ए
व्यावसायिक योग्यता	बी.टी.सी	बी.एड	बी.एड
शिक्षा विभाग में नियुक्ति	30.11.1988	16.10.2014	17.10.2014
प्राथमिक स्कूल दूनसागर में नियुक्ति का वर्ष	26.09.2013	16.10.2014	17.10.2014

स्कूल एक तो दूरदराज स्थित है और दूसरा पहुँचने में भी कठिनाई है। यहाँ स्कूल के आसपास, आपातकालीन चिकित्सा सहायता, बैंक या बाजार जैसी बुनियादी सुविधाएँ भी नहीं हैं। नजदीकी पोस्ट ऑफिस भी कोई 10 किलोमीटर दूर है।

यद्यपि खड़ंजा सड़क से जुड़े होने से आसान पहुँच उपलब्ध है पर देहरादून से स्कूल तक 25 किलोमीटर के सफर में सिर्फ पहले 15 किलोमीटर तक ही सार्वजनिक परिवहन के साधन उपलब्ध हैं। बाकी के 10 किलोमीटर या तो निजी वाहन से या फिर किसी आने–जाने वाले से लिफ्ट माँग कर ही तय किए जा सकते हैं। सड़क इतनी वीरान रहती है कि कभी–कभी तो दूर–दूर तक इस पर कोई नहीं दिखता। सभी तीनों अध्यापिकाएँ स्कूल आने–जाने के लिए एक साझा टैक्सी किराये पर लेती हैं। आसपास के स्कूलों के 8–10 अध्यापकों का समूह यह टैक्सी किराए पर लेता है। टैक्सी वाला कुछ निर्धारित जगहों से अध्यापकों को लेता है। समय पर स्कूल पहुँचने के लिए इन सभी को स्कूल टाइम से एक घण्टा पहले ही निकलना होता है। गर्मी की छुट्टियाँ छोड़कर बाकी साल भर के लिए टैक्सी बुक रहती है। टैक्सी वाला प्रत्येक अध्यापक से प्रतिमाह 2500 रुपए लेता है। पूरे उत्तराखण्ड में यह सामान्य प्रचलन है कि आसपास के कस्बों में रहने वाले अध्यापक स्कूल आने–जाने के लिए साझा टैक्सी लेते हैं। तीन में से एक अध्यापक जुलाई 2016 से मातृत्व अवकाश पर रही और उसके दिसम्बर अन्त तक वापस आने की उम्मीद थी। उसकी अनुपस्थिति में प्रधान अध्यापिका एवं अन्य अध्यापिकाओं ने काम की जिम्मेदारी को अपने बीच बराबरी से बाँट लिया। यह बात बताती है कि वह प्रधान अध्यापिका के सामने कोई भी मुद्दा उठाने और उस पर चर्चा के लिए खुद में सहज महसूस करती है और उनके बीच का रिश्ता आपसी संवाद का और बराबरी का है। स्कूल के रिकार्ड अलमारी में ताला बन्द करके नहीं रखे गए हैं और दोनों अध्यापिकाओं की उन तक पहुँच है। यह भी देखा गया कि यदि प्रधान अध्यापिका सी.आर.सी. या बी.आर.सी. कार्यालय में किसी बैठक में गई हुई है तो दूसरी अध्यापिकाओं ने सभी बच्चों की जिम्मेदारी ले ली ताकि प्रधान अध्यापिका की अनुपस्थिति के कारण सीखने–सिखाने की प्रक्रियाएँ प्रभावित न हों।

स्कूल में ज्योति की यह पहली पदस्थापना है और वह पिछले दो साल से यहाँ पढ़ा रही है। उसने बताया कि किस तरह पहले–पहल उसने काम के लिए सुविधाजनक समय जानकर अध्यापक होना चुना। उसने सोचा कि अध्यापक की नौकरी करते हुए वह अपने निजी जीवन और कामकाजी जीवन में सन्तुलन बनाए रख सकेगी। बहरहाल, उसने आगे बताया कि किस तरह आशा नाम की एक बच्ची से मिलने और एक लम्बे समय तक उसके साथ काम करने के अनुभव ने, शिक्षण के बारे में उसके विचार और इस पेशे व इसके महत्व के बारे में उसके दृष्टिकोण को बदलकर रख दिया है।

आशा की कहानी (बॉक्स 2.1) ज्योति ने और स्कूल में मध्याह्न भोजन पकाने वाली महिला ने बताई। आशा के बारे में बताते हुए ज्योति ने कहा,‘ आज आशा बहुत कुछ कर लेने में सक्षम है, और उसे देखकर मुझे बहुत संतोष होता है। शिक्षा को देखने और समझने के मेरे नजरिये को उसने बदलकर रख दिया है।’

बॉक्स 2.1 : अध्यापक के लिए प्रेरणाप्रद अनुभव

> आशा एक बच्ची है जो अभी कक्षा 2 में पढ़ती है; उसकी बड़ी बहन इसी स्कूल में कक्षा 4 में पढ़ती है। जब आशा का नाम स्कूल में लिखाया गया वह बहुत ही चुपचाप और दब्बू थी। शुरू के छह महीनों तक वह अपना स्कूल बैग हमेशा अपनी गोद में, अपने से नजदीक ही रखती थी। न तो वह खुद इसे खोलती थी और न ही अध्यापक को खोलने देती थी। यहाँ तक कि उसे अपने से दूर भी नहीं ले जाने देती थी। एक बार प्रधान अध्यापिका लक्ष्मी ने जबरदस्ती उसका बैग लेने की कोशिश की तो उसने अध्यापिका को हाथ पैरों से मारना शुरू कर दिया और जोर-जोर से रोने लगी। उसके साथ के बच्चे उसे सामान्य नहीं मानते थे। ज्योति ने आशा के साथ धैर्य और शालीनता से काम किया और धीरे-धीरे उसका भरोसा जीता। महीनों की मेहनत रंग लाई। आशा में अब जबरदस्त बदलाव है। वह कक्षा गतिविधियों में शामिल होती है और अच्छा कर रही है। आशा की माँ भी उसमें यह बदलाव देखकर खुश है।

ज्योति की कक्षा का उदाहरण बताता है कि किस तरह उसका जुड़ाव संवेदनशील और भेदभाव रहित था। आगे के अवलोकन उसके प्रयासों को बताते हैं कि किस तरह वह एक कठिन मल्टीग्रेड कक्षा परिस्थिति में प्रभावी अधिगम अनुभव को प्रोत्साहित करने और भयमुक्त वातावरण बनाए रखने का काम साथ-साथ करती है। इससे बच्चे बिना झिझक उसके साथ बातचीत कर पाते हैं (बॉक्स 2.2)

बॉक्स 2.2 : कक्षा प्रक्रियाओं की एक झलक

> कक्षा 1, 2 और 4 एक ही कक्ष में इकट्ठी हैं। प्रत्येक कक्षा का हर बच्चा उपस्थित था। इस तरह कक्षा में वहाँ 40 बच्चे थे। अध्यापिका ने हर कक्षा को अलग-अलग काम दिया हुआ था। कक्षा 1 के बच्चे भाषा की अपनी वर्क-बुक पूरा करने में जुटे हुए थे, और कक्षा 4 के बच्चों को उनकी पाठ्य पुस्तक से एक अध्याय पढ़ने को दिया गया था।
>
> अवलोकन के समय प्राथमिक रूप से कक्षा 2 पर ध्यान केन्द्रित किया गया। जब दूसरे बच्चे खुद से अपना काम कर रहे थे उस समय अध्यापिका कक्षा को ब्लैक बोर्ड में दो अंकों की संख्याओं वाला जोड़ समझा रही थी। उसके बाद उन्हें हल करने के लिए सवाल दिए गए। दूसरी गतिविधि के लिए अध्यापिका ने कक्षा 2 में से ही दो समूह बनाए। प्रत्येक समूह में 6-7 बच्चे थे। एक समूह उन बच्चों का था जो कि सवाल हल कर पा रहे थे और दूसरे समूह को मदद की जरूरत थी। अध्यापिका ने पहले समूह को दूसरे समूह की मदद के लिए कहा। इस तरीके से पाठ बहुत ही सरलता से आगे बढ़ा और बच्चे भी खुश दिखे।
>
> जब भी मौका मिलता वह बच्चों की सराहना करती जाती। कक्षा 2 के एक बच्चे राजीव ने पहली बार में गणित का सवाल हल कर लिया तो अध्यापिका ने सब बच्चों से उसके लिए ताली बजाने को कहा। राजीव इस बात से खुश दिखा। साथ ही साथ वह उन बच्चों की तरफ भी ध्यान देती जा रही थी जो सवालों में उलझे हुए दिख रहे थे। वह उन्हें लगातार और धीरज के साथ मदद कर रही थी। यह देखा गया कि बच्चे उससे सवाल पूछने में जरा भी नहीं हिचक रहे थे।
>
> इसके बाद उसने कक्षा 1 के बच्चों से अपना काम लेकर आने को कहा। उसने सभी बच्चों का काम देखा और उन्हें व्यक्तिगत रूप से शाबासी दी। इस बीच कक्षा 4 के बच्चे खुद से चुपचाप पढ़ने में लगे रहे। अध्यापिका उन पर ध्यान नहीं दे रही थी पर उन्होंने कोई व्यवधान नहीं पैदा किया।

अपनी दूसरी बातचीत में, ज्योति ने खेद जताया कि बच्चों की इतनी बढ़िया तादाद होने के बावजूद स्कूल में अध्यापकों की कमी है। उसने इस बात पर अपनी खीझ भी दिखाई कि एक ही कक्ष में विभिन्न कक्षाओं और विभिन्न उम्र समूह के बच्चों को एक साथ लेकर काम करना पड़ता है। उसके अनुसार बच्चों के साथ काम करने का यह सही तरीका नहीं है। और बच्चों को उनकी सम्भावित क्षमताओं के इस्तेमाल करने में उनकी मदद करने का यह सबसे अच्छा तरीका नहीं : 'बच्चों की संख्या चाहे जो भी हो, यदि हम दो या दो से ज्यादा कक्षाओं को एक साथ लेकर काम करते हैं, तो किसी न किसी रूप में हम इन बच्चों के

सीखने सिखाने से समझौता कर रहे होंगे, जो कि सही समाधान नहीं है। हर कक्षा में, प्रत्येक बच्चे को सीखने का पर्याप्त मौका मिलना चाहिए। इसके लिये जरूरी है कि हर कक्षा और हर विषय के लिये पर्याप्त संख्या में अध्यापक हों।'

केस स्टडी 3 : शासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय- कुफारगीर, यादगीर, कर्नाटक

शासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय–कुफारगीर, कर्नाटक के ग्रामीण इलाके के कुफारगीर गाँव के बीचों–बीच स्थित है। इस गाँव की समूची जनसंख्या 2259 है, जिसमें कुल 447 घर हैं। यहाँ लिंग अनुपात 954 स्त्रियाँ प्रति हजार पुरुष है। इस गाँव में साक्षरता दर 46.1 प्रतिशत है। पुरुष साक्षरता 59.3 प्रतिशत और स्त्री साक्षरता 32.2 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मिलाकर जनसंख्या के कुल 43.4 प्रतिशत हैं। गाँव के अन्य प्रभुत्वशाली सामाजिक समूह हैं लिंगायत और वोक्कालिगा। गाँव के समुदायों का मुख्य पेशा कृषि व खेत मजदूरी है। गाँव की जनसंख्या का एक हिस्सा मौसम के अनुसार शहरी क्षेत्रों में निर्माण कार्य और कुली का अन्य काम करने के लिए पलायन करता है।

यह गाँव सुरपुर ब्लॉक मुख्यालय से 28 किलोमीटर दूर स्थित है। स्कूल को जाने वाली सड़कों की हालत बहुत दयनीय है। जनता के लिए सार्वजनिक परिवहन सुविधाएँ भी बहुत खराब हैं। लोगों को व्यक्तिगत वाहनों एवं निजी आटो *(टम–टम)* पर निर्भर रहना पड़ता है जो शायद ही कभी मिलता है।

यह स्कूल एक–दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित दो भवनों में लगता है। एक भवन में 1 से 4 तक की कक्षाएँ लगती हैं और दूसरी में 5–7 तक की कक्षाएँ लगती हैं। वर्तमान समय में स्कूल में 321 बच्चे नामांकित हैं। औसतन रोज तकरीबन 260 बच्चे स्कूल आते हैं।

2003 में, स्कूल में 1 से 7 तक की कक्षाओं में 5 अध्यापकों समेत 238 छात्र थे। स्कूल में केवल 4 कमरे थे जिनकी दशा बहुत ही जीर्ण थी। खासतौर पर बारिश के मौसम में स्कूल के मैदान में पानी भर जाता और कुछ कमरे इस्तेमाल के लायक ही नहीं बचते थे। अध्यापक या तो बच्चों को एक साथ बैठाते और मल्टीग्रेड कक्षाएँ चलाते अथवा मजबूरन बच्चों को वापस घर भेज देते। अब स्कूल में मूलभूत सुविधाओं के मद्देनजर बहुत अच्छी व्यवस्था है। ऐसा समुदाय के कुछ सदस्यों व कुछ समर्थ प्रधान अध्यापकों के प्रयासों से सम्भव हो सका है। वे कई सालों में, समुदाय को लामबन्द करने में सफल हुए।

स्कूल के विकास में समुदाय के जुड़ाव के बावजूद, वर्ष 2003–2013 तक राजनीतिक हस्तक्षेप एवं जाति संघर्षों के चलते स्कूल एक एस.डी.एम.सी. का गठन करने में भी सफल नहीं हो पाया। इस दौरान एस.डी.एम.सी. का गठन न हो पाने के कारण स्कूल को आबंटित ग्रांट, विभाग को वापस कर देना पड़ी। वर्तमान एस.डी.एम.सी. का गठन 2014 में हुआ। हालाँकि यह अभी भी सक्रिय नहीं है और अभी तक एस.डी.एम.सी. की कोई बैठक नहीं हुई है। केवल निमंत्रित किए जाने पर एस.डी.एम.सी.के अध्यक्ष स्कूल आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें एस.डी.एम.सी. की भूमिका एवं उत्तरदायित्व की बहुत कम समझ है।

तालिका 3.1 : अध्यापकों का ब्यौरा

	लिंग	उम्र (साल)	योग्यता	सेवा अवधि वर्ष	विषय जो पढ़ाते हैं	कुल नियुक्तियाँ	वर्तमान स्कूल मे कुल समय (वर्ष)
गंगाधर	पुरुष	35	बी.एड	13	अँग्रेजी	1	13
महेन्द्र	पुरुष	32	बी.एड	8	गणित	1	8
वज्रमुनि	पुरुष	29	डी.एड	6	विज्ञान, गणित, हिन्दी	1	6
बद्री	पुरुष	29	बी.एड	1	कन्नड़, सामाजिक विज्ञान	1	1

वर्तमान समय में स्कूल में पाँच नियमित सहायक अध्यापक नियुक्त हैं जो उच्चतर प्राथमिक कक्षाओं के साथ काम करते हैं। (तालिका 3.1) और तीन पेरा-अध्यापक हैं जो छोटी प्राथमिक कक्षाओं को लेते हैं। अनुमोदित 11 पदों में से यहाँ 7 अध्यापकों के पद रिक्त हैं। 2 नियमित अध्यापक काफी दूर से क्रमश: धारवाड़ और बेलगाम से आते हैं। उन्होंने जान-बूझकर गाँव में रहना चुना है। उनका कहना है कि उनके इस निर्णय के पीछे दूरी और आने जाने के साधनों का न होना है। दूसरा कारण यह है कि ऐसा करने से वे समुदाय के साथ जुड़ सकेंगे, उन्हें समझ सकेंगे उनके साथ अच्छा रिश्ता कायम कर सकेंगे साथ ही स्कूल के बाद के समय में बच्चों के साथ जुड़ सकेंगे। दो अन्य अध्यापक रोज एक तरफ 15 किलोमीटर का सफर तय करते हैं।

कुछ नियमित अध्यापकों ने बताया कि उनके अध्यापक बनने के पीछे उनकी प्रेरणा, उनके प्राथमिक स्कूल के अध्यापक थे। प्रभारी प्रधान अध्यापक याद करते हैं, 'मेरे प्राथमिक स्कूल के अध्यापक शंकरप्पा ने मुझे बेहद प्रभावित किया था। वह उसी गाँव में रहते थे और अपना अधिकांश समय स्कूल में बच्चों के साथ बिताते थे। स्कूल के बाद मैं उनके घर पर बातचीत करते हुए बहुत समय बिताता था। अधिकांशत: मैं उनके घर सो जाता था। उन्होंने मुझे 4 बजे सुबह योग करना और किताबें पढ़ना सिखाया। इससे मैं बेहद प्रभावित हुआ और अध्यापन को पेशा बनाने के लिए चुना।'

अध्यापकों ने बताया कि कैसे उन्हें लगता है कि अन्य पेशों की तुलना में अध्यापन समाज में उल्लेखनीय सहयोग करने के लिए एक उपयुक्त प्रयास होता है। उनमें से एक ने कहा, 'पानी, हवा और प्रकाश की तरह शिक्षा भी एक मूलभूत जरूरत है। शिक्षा देने का मतलब केवल बच्चों को पढ़ना-लिखना सिखा देना ही नहीं होता। इसमें संस्कृति एवं मूल्य शामिल होने चाहिए। किसी बच्चे को परीक्षा में 80 प्रतिशत और 90 प्रतिशत अंक मिल सकते हैं, लेकिन अगर उसे समाज के साथ घुलना मिलना नहीं आता तो उसकी वह शिक्षा किसी काम की नहीं। उसे समाज का सम्मान करना चाहिए और समाज से सम्मान पाना चाहिए।'

अध्यापकों के लिए स्कूल के दिन की शुरुआत, स्कूल शुरू होने के एक घण्टा पहले प्रात: 8 बजे हुई। इस बीच जब तक बच्चों ने स्कूल प्रांगण की साफ-सफाई की और पास की नहर से बगीचे को सींचने के लिए पानी लेकर आए। अध्यापकों ने 8-9 बजे के बीच उच्चतर कक्षाओं के बच्चों की अतिरिक्त कक्षा ली। अध्यापकों ने शाम को भी 4.30 से 5.30 के बीच गणित पढ़ाने के लिए एक घण्टे की अतिरिक्त कक्षा ली। वे एक टीम के बतौर काम करते नजर आए और दिन प्रतिदिन के स्कूल संचालन में उनकी समझ और समन्वय नजर आ रहा था। मध्याह्न भोजन से सम्बन्धित सभी प्रक्रियाओं को विस्तार से संयोजित किया गया था जिसके कारण मध्याह्न भोजन टीम उसे आसानी से कर पा रही थी। एक सहायक अध्यापक इसे संचालित करने के लिए जिम्मेदार था। अवलोकन बताते हैं कि वहाँ अध्यापक अपने भोजन अवकाश में अपना समय भोजन करने के अलावा प्रासंगिक अकादमिक एवं प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा करने में बिताते, जैसे कक्षाओं का विभाजन और कार्यालय के कामों का दस्तावेजीकरण।

सूचनाओं को परस्पर बाँटने के सन्दर्भ में अध्यापकों के बीच पारदर्शिता साफ़ दिखाई देती थी। अनुदान एवं व्यय के विवरण 'शेयर इटऐप' के माध्यम से सभी को शेयर किया जाता। अध्यापकों को *व्हाट्स-ऐप* के माध्यम से अकादमिक सामग्री, अध्ययन सामग्री एवं कविताओं को आपस में लेन-देन करते हुए देखा जा सकता था। उनके आपसी संवाद में आयु, अनुभव या वरिष्ठता का किसी तरह का कोई पदानुक्रम (हाइरेर्की) बोध नजर नहीं आता था। पेशेवर भाईचारे की इस भावना की झलक एक अध्यापक के जवाब में बखूबी दिखाई देती है : 'महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कभी भी व्यक्तिगत रूप से कोई श्रेय लेने का प्रयास नहीं करते। हम जो भी करते हैं वह टीम के बतौर करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है जिसने हमें एकजुट रखने में और यह सब कुछ हासिल करने में मदद की।'

यहाँ तक कि 2014 तक एस.एम.सी. की अनुपस्थिति और 2014 में इसके गठन के बाद की निष्क्रियता की स्थिति में भी, गाँव में ही रहने का निर्णय करने के कारण अध्यापक, समुदाय के साथ अच्छा रिश्ता बना कर रख पाए। दिखने के रूप से एक खण्डित समुदाय, जिसमें अनेकों गुट थे, युवकों के समूह थे, होने के बावजूद अध्यापक स्कूल के विकास के लिए कोष जमा करने में सफल हुए। इसमें किताबों, चार्ट व मेज-कुर्सियों समेत एक पुस्तकालय का निर्माण करना शामिल है।

अध्यापक शायद ही कभी अनुपस्थित होते थे। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो वे स्कूल के उन पूर्व छात्रों से कक्षा लेने के लिए सम्पर्क करते जिन्होंने अपना स्नातक या स्नातकोत्तर पूरा कर लिया था। ये पूर्व छात्र ऐसा करने के लिए बिना किसी आर्थिक सहायता के तैयार दिखाई दिए। एक अन्य अवसर पर, जब एक अध्यापक अनुपस्थित थे, या तो दो कक्षाओं को एक साथ मिला दिया गया या उच्चतर कक्षाओं के बच्चों को कक्षा सम्भालने की जिम्मेदारी दी गई।

स्कूल में सकारात्मक कार्य संस्कृति का निर्माण करने में स्कूल के प्रधान अध्यापक का बहुत बड़ा सहयोग था। वह इस बात के लिए सचेत थे कि उन्हें उदाहरण पेश करते हुए नेतृत्व करना है। उन्होंने बताया कि कैसे केवल पारदर्शी, समर्पित और ईमानदार रहकर ही वह इन गुणों को अन्य अध्यापकों में स्थानान्तरित कर सके। उनकी भूमिका की जटिलता एवं अधिक काम की अपेक्षा उनके इस कथन से प्रमाणित होती है, 'प्रत्येक की अपनी अलग राय और विश्वास होते हैं, और लोगों को आम एवं सहभागी समझ तक पहुँचाना एक कठिन काम होता है। सभी के विचारों को ध्यान में रखते हुए, सभी राय का सामान्यीकरण करना और हर किसी की राय लेकर एक अन्तिम निर्णय लेना एक कठिन कार्यभार होता है।'

केस स्टडी 4 : शासकीय प्राथमिक विद्यालय – बसारपुर, टोंक, राजस्थान

शासकीय प्राथमिक विद्यालय, बसारपुर, कहान पंचायत समिति के बसारपुर में स्थित है। यह कैरी ब्लॉक से 32 किलोमीटर और टोंक से 47 किलोमीटर दूर है। यह स्कूल 2001 में वर्तमान प्रधान अध्यापक द्वारा स्थापित किया गया था। उस वक्त इसमें केवल 1 छात्र था, आज इसमें कुल 82 छात्र हैं जो 1 से 5 तक की कक्षा में पढ़ते हैं। 82 छात्रों में 61 बसारपुर के कंजर जाति के हैं और 21 अन्य जातियों के हैं जो 2 किलोमीटर दूर एक अन्य गाँव के हैं।

प्रधान अध्यापक, हीरालाल शुरुआत से ही इस स्कूल से जुड़े हुए हैं। मुख्य रूप से उनके प्रयासों से ही यह स्कूल स्थापित हुआ था और यह अभी भी काम कर रहा है। 2007 में स्कूल के लिए भवन आबंटन होने से पूर्व वह अपनी जेब से स्कूल भवन का किराया देते थे।

वह स्कूल के शुरुआती दिनों में अपने संघर्ष को याद करते हैं, 'न तो वे स्कूल के लिए मुझे किराए पर कमरे देते थे न ही बैठने के लिए जगह देते थे। मैंने 200 रुपए प्रतिमाह पर एक कमरा किराए पर लिया। एक अन्य पेरा–अध्यापक की नियुक्ति के बाद हमने नामांकन बढ़ाने के लिए कठिन परिश्रम किया। 2007 में, हमारा प्रार्थना पत्र स्वीकृत हो गया और 2008 में भवन का निर्माण हुआ।'

उन्होंने शुरुआती सालों में स्कूल आने में समुदाय की हिचक के बारे में भी बताया : 'वे अपने बच्चों को नहीं भेजते थे, क्योंकि स्कूल दूर था और कब्रिस्तान के ठीक सामने था। फिर हमने उन्हें समझाया और धीरे–धीरे उन्होंने अपने बच्चों को भेजना शुरू कर दिया।' स्कूल गाँव के कब्रिस्तान के उस पार हैऔर अभी भी जब भी गाँव में कोई मौत होती है तो बुरी आत्मा के भय से बच्चों की उपस्थिति बहुत अधिक प्रभावित होती है। 2008 में भवन निर्माण पूरा हो जाने के बाद प्रधान अध्यापक द्वारा समुदाय के साथ नियमित संवाद के कारण कई सालों में नामांकन धीरे–धीरे बढ़ा। (तालिका 4.1) प्रधान अध्यापक के अलावा स्कूल में 3 और अध्यापक हैं। (तालिका 4.2)

तालिका 4.1 : स्कूल में नामांकन

अकादमिक सत्र	नामांकन
2008–2009	23
2010–2011	45
2011–2012	49
2012–2013	51
2013–2014	61

तालिका 4.1 : स्कूल में नामांकन

अकादमिक सत्र	नामांकन
2014–2015	71
2015–2016	82

तालिका 4.2 : अध्यापकों का ब्यौरा

अध्यापक का नाम (निवास स्थान)	हीरालाल (प्रधानअध्याापक) (कहान)	सीमा (कैरी)	भूपेश (कैरी)	गायत्री (कहान में नियुक्त)
लिंग	पुरुष	महिला	महिला	महिला
उम्र (साल)	36	24	38	38
सामाजिक श्रेणी	ओ.बी.सी.	एस.सी.	एस.सी.	एस.सी.
अकादिमक योग्यता	एम.ए हिन्दी	एम.ए. इतिहास	एम.ए हिन्दी	बी.ए
व्यावसायिक योग्यता	बी.एड	एस.टी.सी.	एस.टी.सी.	एस.टी.सी.
वर्तमान स्कूल में कब से	आरंभ से	2013	2016	2013

स्कूल भवन में दो कमरे हैं। लेकिन मध्याह्न भोजन बनाने के लिए कोई अलग से जगह नहीं है। न ही प्रधान अध्यापक के लिए कोई अलग कमरा है। स्कूल के पास पर्याप्त मूलभूत सुविधाएँ हैं, हालाँकि यहाँ बिजली नहीं है। हाल के वर्षों में स्कूल में विकास के लिए प्रधान अध्यापक ने प्रयास किए। उन्होंने लगातार भवन निर्माण और कक्षाओं को बनाने व स्कूल के चारों तरफ दीवार बनाने और मध्याह्न भोजन पकाने के लिए एक जगह बनाने के लिए कोष जुटाने का प्रयास किया। लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। जैसा कि प्रधान अध्यापक ने बताया कि पंचायत समिति व विभाग एक–दूसरे की ओर यह कहते हुए इशारा करते कि यह अगले का काम है। स्थानीय अधिकारियों की सोच के केन्द्र में स्कूल नहीं है। यहाँ एक रिसोर्स पर्सन का अन्तिम भ्रमण 26 अगस्त 2016 को हुआ। इसके अलावा वर्तमान अकादमिक सत्र में कोई अन्य व्यक्ति नहीं आया। पहले जो अधिकारी यहाँ आ चुके हैं उनका कहना यह है कि जो भी सरकार ने आबंटित किया है वह उन्हें दे चुके हैं। और जितना सम्भव समर्थन है वह उन्हें दे चुके हैं। बताया कि यह एकमात्र अध्यापक के साथ शुरू हुआ था और अब यहाँ तीन पद आबंटित किए गए। साथ में एक अतिरिक्त सहायक अध्यापक भी दिया गया। वे इस बात का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए कि क्यों अधिक कक्षाएँ बनवाने और मध्याह्न भोजन के लिए पर्याप्त जगह देने के आवेदन को वे आगे नहीं बढ़ा सके।

स्कूल में मुख्य रूप से कंजर आते हैं। सामाजिक रूप से निर्वासित यह एक स्थानीय समुदाय है, जो मुख्यत: राजस्थान और मध्यप्रदेश में पाये जाते हैं। विशेषतौर पर वे निवास करने वाली बस्तियों की परिधि पर रहते हैं। उनकी अपनी स्वीकृति एवं अध्यापकों की रिपोर्ट के अनुसार बसारपुर में रहने वाले इन परिवारों का मुख्य पेशा है देशी शराब का उत्पादन, चकलाघर चलाना और फिरौती वसूल करना है। वे खेत मजदूर के रूप में भी काम करते हैं। कुछ प्रभुत्वशाली पुरुष सामुदायिक 'पंचायत' के माध्यम से समूचे समुदाय पर नियन्त्रण करते हैं। परिवार की आजीविका के लिए मुख्यत: पुरुष जिम्मेदार होते हैं, जबकि औरतें घर तक सीमित होती हैं और वे शराब के उत्पादन को सम्भालती हैं। इस समुदाय में शिक्षा को अधिक प्राथमिकता नहीं दी जाती है। परिणामस्वरूप, अक्सर स्कूल में उपस्थिति बहुत ही खराब होती है। ऐसा देखा गया कि जब भी ऐसा होता है, प्रधान अध्यापक समुदाय के पास जाते हैं और बच्चों की अनुपस्थिति के बारे में पूछताछ करते हैं और माता–पिता से बात करने का प्रयास करते हैं। प्रधान अध्यापक दुखी थे कि 'माता–पिता सचेत नहीं हैं। हम उन्हें सचेत करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यह आसान काम नहीं है। इसीलिए 8वीं कक्षा तक पहुँचते–पहुँचते बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। सरकारी

नौकरी पाने की बात तो भूल जाइए, एक भी बच्चा यहाँ 10वीं कक्षा तक भी पास नहीं कर पाया है। उन्हें अपने माता पिता से सहयोग एवं मदद नहीं मिलती।' रोचक बात यह है, केवल प्रधान अध्यापक समुदाय में अनुपस्थिति की पड़ताल करने जाते हैं। अन्य अध्यापक कोशिश नहीं करतीं क्योंकि उनके अनुसार यह एक अच्छा इलाका नहीं है।

जैसा कि प्रधान अध्यापक ने बताया कि अभी तक इस समुदाय के किसी भी बच्चे ने स्कूली शिक्षा (कक्षा 10) पूरी नहीं की है। केवल एक लड़का अपवाद है जिसने हाल ही में पास के सीनियर सेकेण्डरी स्कूल में नामांकन करवाया है। यह सीनियर छात्र कुछ अन्य छात्रों के लिए उम्मीद के एक प्रतीक जैसा है। स्कूल भ्रमण के दौरान कक्षा 5वीं के एक छात्र धीरज ने बताया कि हर कोई यह जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि यह छात्र कितनी दूर तक जाएगा क्योंकि वह उनके लिए एक आदर्श है और उन्हें उम्मीद है कि उसकी अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद एवं नौकरी मिलने के बाद वह उनका दिशा निर्देश करेगा।

फिर भी, इस समुदाय में शिक्षा के प्रति सचेतता में कमी के बावजूद स्कूल में एक सक्रिय एस.एम.सी. है जिसका प्रत्येक साल पुनर्गठन किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर इसके सदस्य स्कूल आते हैं और अध्यापक-अभिभावक मीटिंग नियमित रूप से होती है। दोनों ही मंचों, एस.एम.सी. एवं अभिभावक-अध्यापक मीटिंग का इस्तेमाल निर्णय लेने में किया जाता था और छात्रों की उपस्थिति, उनके सीखने के स्तर से सम्बन्धित कार्यवाही को लागू किया जाता, मूलभूत सुविधाओं से सम्बन्धित राय एकत्र की जाती तथा प्रासंगिक सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी साझा की जाती।

यह देखा गया कि एस.एम.सी. सदस्य सक्रिय हैं लेकिन वे स्कूल में और स्कूल के बाहर अध्यापकों की कार्यवाहियों पर निगरानी रखने की भूमिका में ज्यादा थे। एक एस.एम.सी. सदस्य ने एक अध्यापिका को लंच के समय अपने सेल फोन पर वीडियो क्लिप देखने पर हड़काया। 'वाह मैडम! क्या आप स्कूल समय में गाना सुन रही हैं?' इस पर उस अध्यापिका ने जवाब दिया, 'भाई मैं एक गतिविधि कराने के लिए एक वीडियो देख रही थीजो बच्चों के साथ कराई जाएगी।' ऐसे मामले भी रहे हैं जब एस.एम.सी. सदस्यों ने देर से आने वाले अध्यापकों को रोका और उनसे सवाल किए।

शिक्षा के प्रति अपने नजरिए के बावजूद समुदाय की एक समझ थी और उन्होंने स्कूल के प्रति प्रधान अध्यापक के योगदान को सराहा। एक एस.एम.सी. सदस्य ने बातचीत के दौरान बताया कि प्रधान अध्यापक इस स्कूल से स्थानान्तरण चाहते हैं। सदस्य ने कहा 'हम यह नहीं होने देंगे। हम उन्हें नहीं जाने देंगे।'

हालाँकि स्कूल एक सड़क से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस पर कोई सार्वजनिक परिवहन की सुविधा नहीं है जिससे लोग नियमित आ-जा सकें। 4 अध्यापकों में से 2 अध्यापक, प्रधान अध्यापक हीरालाल एवं प्रतिनियुक्त अध्यापिका गायत्री कहान में रहती हैं और वे स्कूल के नजदीक रहते हैं। अन्य दो अध्यापक कैरी में रहते हैं और उन्हें प्रतिदिन 32 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। दूरी के अलावा ये सफर बहुत ही थकाऊ होता है और इसमें लगने वाला समय भी अनिश्चित होता है क्योंकि यह चरणों में पूरा होता है। (तालिका 4.3) जिस जगह से उन्हें एक दूसरा साधन बदलना पड़ता है उस जगह पर इन्तजार का समय वास्तविक यात्रा समय से कहीं ज्यादा हो सकता है। कहान से बसारपुर के अन्तिम चरण के सफर को पूरा करने के लिए अध्यापकों को आधे घण्टे पैदल चलना पड़ता है। एक अन्य विकल्प है कि उस मार्ग पर आने-जाने वाले समुदाय के किसी व्यक्ति से लिफ्ट ली जाए। अत: इन्तजार किए जाने वाले समय को मिलाकर यात्रा का कुल समय

तालिका 4.3 : स्कूल आना जाना

एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा	साधन	दूरी (किलोमीटर)	यात्रा में लगने वाला समय (मिनट)
घर से कैरी बस स्टैण्ड तक	व्यक्तिगत गाड़ी	1-2	5-10
कैरी से सामेल तक	बस या जीप	25	40-45
सामेल से कहान तक	जीप अथवा गाँव के स्थानीय निवासी से लिफ्ट	5	10
कहान से बसारपुर	गाँव के स्थानीय निवासी से लिफ्ट/पैदल चलना	2.5	5-30

न्यूनतम 1 घण्टे से 1 घण्टा 45 मिनट तक हो सकता है। यह अध्यापक के भाग्य पर भी निर्भर है कि उसे परिवहन का साधन कब मिलता है। वापसी यात्रा भी इसी तरह की होती है।

फिर भी, यह पाया गया कि इन बाधाओं के बावजूद अध्यापक, खासतौर से कैरी से आने वाली दो अध्यापिकाएँ नियमित रूप से स्कूल आईं और पूरा दिन स्कूल में बिताया और अपने अध्यापन का काम पूरा किया। कहान में रहने वाली प्रतिनियुक्त अध्यापिका कम नियमित थी और वह बार–बार ड्यूटी की छुट्टी लेकर अनुपस्थित रहती। यह कहा जाता है कि स्थानीय नौकरशाही के अफसरों से उनके सम्पर्क थे और वह स्थानान्तरण का प्रयास कर रही थी। अगर अध्यापकों को छुट्टी की जरूरत होती तो वे बाकायदा प्रक्रिया के तहत छुट्टी के लिए आवेदन करते, जिसका प्रधान अध्यापक आग्रह करते।

बच्चों की स्कूल आने की कठिन परिस्थितियों के बारे में अध्यापकों में एक समझदारी लगी और माता–पिता की तरफ से अपर्याप्त सचेतता एवं सहयोग की स्थिति में वे अतिरिक्त प्रयास करते हैं। जैसा कि एक अध्यापिका कहती है,' अगर उन्हें (बच्चों को) थोड़ा सचेत बनाया जा सके तभी वे आगे बढ़ सकते हैं।' बदले में छात्र अपने अध्यापकों के साथ सहज, खुले और विश्वसनीय रिश्तों में दिखे। वे उनके साथ कई तरह की समस्याओं पर चर्चा कर रहे थे। इनमें विषय सम्बन्धी दिक्कतें थी, शेष होमवर्क और यूनीफार्म से सम्बन्धित मुद्दे शामिल थे। ऐसा ही एक उदाहरण था – भोजनावकाश के समय एक घटना हुई जब बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, उन्हें एक मैच के बीच में क्लास के लिए बुलाया गया। बच्चों के अनुसार चूँकि मैच के परिणाम पर 5 रुपए की शर्त लगी थी तो उसे पूरा करना जरूरी था। उन्हें नहीं लगा कि इस तथ्य को उनके अध्यापकों से छिपाया जाना चाहिए। बुलाए जाने पर एक बच्चा चिल्लाया 'सर हमारी शर्त लगी है और हमें 10 मिनट और लगेगा' और वे अगले 5 मिनटों तक बिना किसी डर से खेलते रहे।

ऐसा देखा गया कि स्कूल प्रधान अध्यापक के नेतृत्व में संचालित हो रहा था और उन्हें अध्यापकों का सामूहिक सहयोग मिल रहा था। प्रत्येक अध्यापक की एक विशिष्ट जिम्मेदारी थी। उदाहरण के लिए, एक की जिम्मेदारी थी मध्याह्न भोजन, अगले की जिम्मेदारी थी सुबह की सभा, और तीसरे की जिम्मेदारी थी सभी गतिविधियों में समन्वय बना कर रखना। प्रधान अध्यापक अन्दर और बाहर के सभी तरह के प्रबन्धन और सम्पर्क के लिए जिम्मेदार थे। इसमें समुदाय एवं ब्लॉक रिसोर्स केन्द्र के साथ जुड़ाव शामिल था। प्रत्येक महीने के अन्तिम कार्य दिवस पर अध्यापक एक साथ मिलकर बैठे और पिछले महीने के कामों का आकलन किया और अगले महीने के लिए योजना बनाई। अध्यापकों ने यह बात साझा की कि योजना बनाने का काम परामर्श और सहयोग से होता है और इसमें लेसन प्लान, कक्षा की गतिविधियों और दुर्लभ और उपलब्ध टीचिंग लर्निंग सामग्री का सर्वोत्कृष्ट उपयोग सम्बन्धी चर्चा शामिल है।

इसके साथ ही, प्रधान अध्यापक ने स्कूल के संचालन को आसान बनाने के लिए स्कूल स्तर की अनेक प्रक्रियाओं को लागू किया था। विभिन्न गतिविधियों को अंजाम देने के लिए विभिन्न कमेटियाँ थी। जैसे कक्षाओं और शौचालय की सफ़ाई और मध्याह्न भोजन का आयोजन। लगभग प्रत्येक बच्चे को एक पौधे या पेड़ की जिम्मेदारी दी गई थी। दिन में कभी भी जब भी बच्चे को समय मिलता वह पौधे की देखभाल करते हुए पानी डालते दिखाई देते। अगर कोई बच्ची अनुपस्थित रहती तो उसके पौधे के बाजू वाला पौधा जिस बच्चे का होता वह उसकी देखभाल करती/करता। परिणामस्वरूप समूचे प्रांगण की अच्छी देखभाल होती थी।

केस स्टडी 5 : शासकीय माध्यमिक विद्यालय, मारमतारा – धमतरी, छत्तीसगढ़

शासकीय माध्यमिक विद्यालय, मारमतारा, मारमतारा गाँव में स्थित है। यह धमतरी ब्लॉक मुख्यालय से लगभग 17 किलोमीटर दूर है। यह लालपानी पंचायत के अधीन आता है। मारमतारा और लालपानी गाँवों की कुल जनसंख्या लगभग 2000 है। मारमतारा गाँव की जनसंख्या 945 है। इसमें 204 घर हैं। कुल साक्षरता दर 68 प्रतिशत है। इसमें पुरुष साक्षरता दर 78 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर 57 प्रतिशत है। गाँव में मुख्यत: ओ.बी.सी. समुदाय रहते हैं जिसमें अधिकांशत: साहू और यादव हैं। हालाँकि अनुसूचित जनजाति गोंड की जनसंख्या भी उल्लेखनीय है, जो 36 प्रतिशत है। गाँव में विभिन्न समुदायों

की बसाहट अलग-अलग हिस्सों में है। साहू एवं यादव के परिवार सड़क के एक ओर हैं जो गाँव के बीच से जाती हैं। गोंडों के घर सड़क के दूसरी तरफ हैं। अधिकांश परिवार कृषि पर आधारित हैं। उनमें से अधिकांश आसपास के गाँवों में खेत मजदूरी करके अपनी आजीविका कमाते हैं। जमीन चन्द प्रभावशाली लोगों के हाथों में केन्द्रित है।

सबसे पास का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 4 किलोमीटर दूर है और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 7 किलोमीटर दूर है। गाँव मुख्य सड़क से लगभग 5 किलोमिटर दूरी पर है। अत: यहाँ से गाँव तक पहुँचना एक चुनौती होती है। यहाँ सार्वजनिक परिवहन की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में गाँव तक आसानी से केवल कुछ लोग ही पहुँच सकते हैं जिनके पास व्यक्तिगत वाहन हैं। यहाँ तक कि यहाँ रिक्शा और आटो-रिक्शा भी उपलब्ध नहीं है। 1975 तक गाँव में कोई स्कूल नहीं था। मिडिल स्कूल मारमतारा कुछ प्रतिबद्ध अध्यापकों और समुदाय के चुने हुए सदस्यों के प्रयासों से बना।

वर्तमान प्रधान अध्यापक सुकेश ने 1983 में विभाग में पदभार ग्रहण किया और मरामतारा में आने से पहले वह तीन स्कूलों में काम कर चुके थे। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें पिछली नियुक्तियों में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करने और समुदाय के साथ काम करने का अनुभव था और उन्हें प्रतिदिन 12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था क्योंकि वहाँ कोई सार्वजनिक परिवहन की सुविधा नहीं थी। अन्ततोगत्वा उन्होंने तय किया कि वह उसी गाँव में रहेंगे, जहाँ बिजली नहीं है। सुकेश के अनुसार, यह समुदाय भी अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति बहुत उदासीन था। वे अपने बच्चों को अक्सर साथ में खेत में या मछली मारने के लिए ले जाते। ऐसी परिस्थिति में सुकेश ने स्कूल को स्थापित करने के लिए बच्चों और समुदाय के साथ गहराई के साथ काम किया।

2008 में, सुकेश ने मिडिल स्कूल मरामतारा में पदभार ग्रहण किया। स्कूल में 65 बच्चों का नामांकन था। लेकिन कई बार बच्चों की उपस्थिति केवल 20 प्रतिशत ही रह जाती थी। समुदाय और माता-पिता शिक्षा को खास महत्व नहीं देते थे। बच्चे भी बहुत उत्साहित नजर नहीं आते थे। यह अरुचि खासतौर से अनुसूचित जनजाति के समुदाय में ज्याादा मजबूत थी। सुकेश अपने शुरुआती वर्षों के प्रयासों को बताते हैं, 'हम पहले बच्चों के घर जाते और माता-पिता से बात करते कि स्कूल आना बहुत जरूरी है। हम उन्हें बताने का प्रयास करते कि अगर आप बच्चों को अच्छा इन्सान बनाना चाहते हैं तो उन्हें शिक्षित करना बहुत जरूरी है। इसके लिए स्कूल का अपना महत्व होता है। हम बच्चों से भी बात करते, और उन्हें अपने साथ स्कूल लेकर आते। बच्चों से बात करने के लिए हम खुद बच्चे बन जाते। तब जाकर हमारे प्रयास रंग लाए।' एक अन्य अध्यापक ने बताया, 'बच्चे स्कूल नहीं आते थे तो हमें उन्हें बुलाना पड़ता। सर (प्रधान अध्यापक) ने बहुत मेहनत की, लेकिन अभी भी बहुत सी समस्याएँ थी। इसके बाद, हमने माता पिता, बच्चों, समुदाय और एस.एम.सी. के साथ बहुत काम किया। इसका परिणाम हम आज देख रहे हैं।'

उस समय, यह भी महसूस किया गया कि एस.एम.सी. का समुदाय के साथ एक बेहतर सम्पर्क हो सकता है। और एस.एम.सी. के भीतर, बच्चों को प्रभावित करने में महिलाएँ ज्यादा बेहतर स्थिति में हो सकती थीं। अध्यापकों ने बताया कि कैसे नियमित बैठक करके और महिलाओं को शामिल करके एस.एम.सी. को सक्रिय और सशक्त बनाने के लिए प्रयास किए गए। जैसा कि सुकेश ने बताया,'इन बैठकों में महिलाओं को शामिल करने के लिए हमने बहुत काम किया। हमने महसूस किया कि अगर हम महिलाओं को सचेत कर सके, तो शायद इससे फर्क पड़ें। हमने उनसे यह भी कहा कि यह आपका स्कूल है, हमारा नहीं। बाद में धीरे-धीरे एस.एम.सी. नियमित हो गई।'

2010 तक, स्कूल के बारे में समुदाय की जागरूकता में पर्याप्त विकास हुआ। अब, निर्णय करने में और स्कूल की बेहतरी के लिए समुदाय सक्रिय रूप से शामिल है। स्कूल के पास कक्षाओं और खेल के मैदान के सन्दर्भ में पर्याप्त मूलभूत सुविधाएँ हैं। लेकिन पानी की कमी के कारण शौचालय इस्तेमाल करने लायक नहीं है। एस.एम.सी. सदस्य, अध्यापक और समुदाय के सदस्य इसके विषय में चिन्तित हैं और उन्होंने पंचायत से अनुरोध किया है कि इस विषय में कुछ किया जाए। वर्तमान समय में स्कूल में 1 से 7 तक कक्षाओं में 41 बच्चे और 4 अध्यापक हैं। (तालिका 5.1)

तालिका 5.1 : अध्यापकों का ब्यौरा

अध्यापक का नाम	सुकेश	रमेश	जीवन	प्रदीप
लिंग	पुरुष	पुरुष	पुरुष	पुरुष
आयु(वर्ष)	53	42	47	37
सामाजिक श्रेणी	ओ.बी.सी.	सामान्य	ओ.बी.सी.	सामान्य
अकादमिक योग्यता	एम.ए. सोशल स्टडीज	एम.ए. गणित	एम.ए. सोशल स्टडीज	बी.ए. अंग्रेज़ी
पेशेवर योग्यता	बीएड	डीएड	डीएड	डीएड
स्कूल में बिताए गए साल (वर्ष)	9	8	3	8

स्कूल आने-जाने के लिए अध्यापकों को लम्बी दूरी तय करनी पड़ती है। प्रधान अध्यापक एक तरफ 11 किलोमीटर का रास्ता तय करते हैं, जबकि तीन अध्यापक एक तरफ 16-17 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। वर्तमान समय में, उन सभी के पास अपना दुपहिया वाहन है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। पहले, वे सभी आधे रास्ते सार्वजनिक परिवहन से आते और फिर वे अपने साथियों से लिफ्ट लेते।

आज, स्कूल बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है और समुदाय के लोग तथा स्थानीय अधिकारी अध्यापकों का बहुत सम्मान करते हैं। क्लस्टर अकादमिक संयोजक विनोद, जो इस स्कूल और आसपास के स्कूलों में अक्सर आते रहते हैं, ने बताया कि यहाँ अध्यापक बहुत नियमित थे और कक्षा की सारी प्रक्रियाएँ बहुत ही सहजता से चलती थीं। माता-पिता और एस.एम.सी. सदस्यों ने भी यही भाव प्रकट किए। जैसा कि एक एस.एम.सी. सदस्य ने बताया,'यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है। अध्यापक अच्छी तरह से पढ़ाते हैं।' उन्होंने बताया कि वह जो भी कह रही हैं उसे अच्छी तरह से जानती हैं क्योंकि उनकी दो बेटियाँ इसी स्कूल से पास होकर निकली हैं और वे हाईस्कूल में बहुत बेहतरीन कर रही हैं।

अध्यापक न केवल नियमित हैं बल्कि वे वक्त के बहुत पाबन्द भी हैं। प्रधान अध्यापक ने बताया,'हमने एक साथ यह तय किया कि हम स्कूल में सुबह की सभा शुरू होने से दस मिनट पहले पहुँचेंगे।' ऐसा पाया भी गया कि वे एक साथ बेहतर काम करते थे और प्रतिदिन आपस में संवाद करते थे। खासतौर से, छात्रों से सम्बन्धित मामलों में। ऐसी ही एक घटना घटी जब अध्यापकों ने ध्यान दिया कि कक्षा 8 का एक छात्र का ध्यान उसकी पढ़ाई पर नहीं लग रहा था। जबकि वह कक्षा 6 व 7 में अच्छा छात्र रहा था। उन्होंने पहले आपस में मामले पर चर्चा की, उसके बाद ही चिन्ता जाहिर करते हुए उसके माता-पिता से और फिर बच्चे से बात की। अध्यापकों का सरोकार एक बच्ची की खास जरूरत पर दिखाई दिया जो स्कूल में काफी संघर्ष कर रही थी। अध्यापकों ने उस बच्ची के लिए सबसे बेहतर कोशिश की। साथ ही उसे कान की मशीन दिलवाई और उसके मामले को पंचायत और स्कूल शिक्षा विभाग में उठाया। दुर्भाग्य से, उनके प्रयासों का तत्काल कोई परिणाम नहीं निकला।

अध्यापकों के बीच कोई पदानुक्रम (हाईरेर्की) का बोध दृश्य नहीं था। और ऐसा देखा गया कि वे हिस्सेदारी करते हुए निर्णय ले रहे थे। प्रधान अध्यापक के अनुसार, वे सभी एक साथ एक टीम की तरह काम करते थे और उन्हें इस बात की पूरी स्वायत्तता थी कि वे किस कक्षा को पढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा,'मैंने उनसे कहा कि आप जो भी कक्षाएँ पढ़ाना चाहते हैं आप खुद तय करें। मैं खुद कक्षाएँ लेता हूँ। अधिकांशतः संस्कृत और सामाजिक विज्ञान।' स्कूल में उनकी अनुपस्थिति के दौरान अध्यापकों से यह उम्मीद की जाती थी कि वे स्कूल के हित में स्वायत्त रूप से निर्णय ले लें। उन्होंने आगे जोर देते हुए बताया कि, 'अगर कोई अध्यापक छुट्टी पर है तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चों का नुकसान न हो।'अध्यापक स्कूल की अन्य जिम्मेदारियों का निर्वाह भी करते थे। उदाहरण के लिए, अध्यापक मध्याह्न भोजन की नियमित निगरानी करते थे और मध्याह्न भोजन का प्रबन्धन करने वाले स्व-सहायता समूह (एस.एच.जी.) को भी निर्देशित करते। हाल ही में, दो अवसरों पर ऐसा हुआ जब अध्यापकों और समुदाय के सदस्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए आपस में समन्वय करना पड़ा कि नियमित रसोइए की अनुपस्थिति में मध्याह्न भोजन का काम अच्छी तरह से चल सके।

यह देखा गया कि प्रधान अध्यापक ने बच्चों के सीखने के लिए कई तरह के अन्य मंचों को भी निर्मित करने की कोशिश की। उदाहरण के लिए, बाल सभा एक ऐसा ही मंच था। यह हर शनिवार को आयोजित की जाती थी। यहाँ बच्चे विभिन्न विषयों पर बिना तैयारी किए तुरन्त और तैयारी करके बोलते थे। जैसे त्योहारों और पर्यावरण आदि विषयों पर। बच्चों ने स्वयं इस कार्यक्रम की तैयारी की और समुदाय के सदस्यों को निमन्त्रित किया गया। प्रधान अध्यापक ने अपना विश्वास व्यक्त किया कि 'चिन्तन की योग्यता विकसित करने और निर्भय होकर और स्वतन्त्र रूप से अभिव्यक्ति के लिए ऐसे मंच बहुत आवश्यक हैं।'

केस स्टडी 6 : उच्च प्राथमिक विद्यालय रुपारपुर – बागेश्वर, उत्तराखण्ड

उच्च प्राथमिक विद्यालय,रुपारपुर, बागेश्वर जिले के गरुड़ ब्लॉक में आता है। यह ब्लॉक रिसोर्स सेन्टर से 18 किलोमीटर और क्लस्टर रिसोर्स सेन्टर से 7 किलोमीटर दूर है। वहाँ के लिए कोई भी सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था नहीं है और वहाँ केवल निजी वाहन से या किराए की टैक्सी से ही जाया जा सकता है। स्कूल से कुछ पहले ही वाहनों के चलाने लायक सड़क खत्म हो जाती है, और अन्तिम, लगभग 1.5 किलोमीटर का उबड़खाबड़ रास्ता पैदल तय करके अन्तत: स्कूल पहुँच पाते हैं। बारिश के मौसम में अध्यापकों और छात्रों के लिए यह मार्ग और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसकी दूरी और कठिन रास्ते की वजह से स्थानीय सरकारी अधिकारी भी यहाँ बहुत कम आते हैं।

यह स्कूल 2010 में स्थापित किया गया था। उस वक्त इसमें 1 अध्यापक और 11 छात्र थे। आने वाले सालों में धीरे-धीरे नामांकन बढ़ता गया और वर्तमान नामांकन 38 है (तालिका 6.1)। अधिकांश बच्चे रुपारपुर और आसपास के अन्य गाँवों से ओ.बी.सी. गोस्वामी समुदाय के हैं। गाँव का प्रमुख पेशा खेती है। इसे मुख्यत: महिलाएँ सम्भालती हैं। महिलाओं से बातचीत करके पता चला कि गाँव के पुरुष कामचोर हैं और वे अत्यधिक शराब पीते हैं। अत: महिलाएँ घर के कामकाज, आजीविका और परिवार की अर्थव्यवस्था को सम्भालती हैं। वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने की जिम्मेदारी भी उठाती हैं। एस.एम.सी. की बैठक में भी यह दिखाई देती हैं जिसमें ज्यादातर माँएँ हिस्सा लेती हैं।

तालिका 6.1 : स्कूल में नामांकन

अकादमिक सत्र	नामांकन
2010–2011	11
2011–2012	12
2013–2013	16
2013–2014	15
2014–2015	22
2015–2016	28
2016–2017	38

आज, स्कूल में 3 अध्यापक हैं। इसमें प्रधान अध्यापक शामिल हैं (तालिका 6.2) तीनों अध्यापक गरुड़ में रहते हैं और वे एक से तरफ 25 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। उत्तराखण्ड के अधिकांश उन अध्यापकों की तरह, जो सुदूर गाँवों में काम करते हैं और जो आम परिवहन से नहीं जुड़े हैं, वे एक टैक्सी किराए पर करते हैं जो उन्हें प्रतिदिन स्कूल ले जाती है। आमतौर पर, टैक्सी उन्हें किसी एक केन्द्रीय जगह से लेती है और उन्हें स्कूल पर उतार देती है। रुपारपुर पहुँचने के लिए एक तरफ की यात्रा में 1 घण्टे से 1.5 घण्टे का समय लगता है। इसमें इन्तजार का समय भी शामिल कर लें तो एक दिन में यात्रा समय लगभग 3 घण्टे से ज्यादा हो सकता है। तालिका 6.3 में एक अध्यापक के अपने घर से स्कूल तक पहुँचने के चरणों का विस्तार से विवरण दिया गया है। प्रत्येक अध्यापक को प्रतिदिन 80 रुपए टैक्सी का किराया लगता है। यानी कुल मिलाकर 2000 रुपए प्रतिमाह का खर्च आता है।

तालिका 6.2 : अध्यापकों का ब्यौरा

अध्यापक का नाम	राजेश	लोकेश	केदार
लिंग	पुरुष	पुरुष	पुरुष
उम्र (वर्ष)	39	39	38
सामाजिक श्रेणी	सामान्य	सामान्य	सामान्य
अकादमिक योग्यता	एम.ए राजनीति विज्ञान	एम.एससी रसायनशास्त्र	एम.ए हिन्दी
व्यावसायिक योग्यता	बी.एड	बी.एड	बी.एड
स्कूल में नियुक्ति का वर्ष	2015	2016	2015

तालिका 6.3 : स्कूल से आना-जाना

यात्रा की शुरुआत और अन्त की जगह	साधन	दूरी (किलोमीटर)	यात्रामें लगने वाला समय (मिनट)
घर से यात्रा शुरू करने की जगह तक	पैदल	0.3-0.5	10
यात्रा शुरू करने की जगह से रुपारपुर तक	टैक्सी	18-20	40-45
रुपारपुर में टैक्सी से उतरने की जगह से स्कूल तक	पैदल	1.5	10-15

अध्यापकों के बीच परस्पर अच्छा रिश्ता दिखाई दिया। जैसा कि उन्होंने बताया कि रोज एक साथ आने जाने से उन्हें एक-दूसरे के साथ अतिरिक्त समय मिलता है जिससे उनमें कामरेडाना (साथीपन) विकसित होता है। प्रत्येक सुबह सभा के बाद, यह देखा गया कि अध्यापक आपस में मिलकर बैठे और रोज के कक्षाओं की गतिविधियों के बारे में होने वाले काम के बारे में चर्चा की, जैसे कक्षाओं का वितरण, किसी खास कक्षा में हर अध्यापक के लिए लगने वाला जरूरी समय, या किसी अन्य खास चुनौतियों के बारे में। इस अनौपचारिक चर्चा के माध्यम से वे यह भी तय करते थे कि अगर कोई अध्यापक अनुपस्थित है तो क्या किए जाने की जरूरत है।

अध्यापकों के अनुसार वे प्रधान अध्यापक को एक सत्ता प्राधिकारी की जगह 'उपलब्ध दोस्त' की तरह पाते हैं। ऐसी रिपोर्ट है कि वह अध्यापकों द्वारा प्रस्तावित नए विचारों को प्रोत्साहित करते थे और इन विचारों को अध्यापकों द्वारा कक्षाओं में लागू करने को भी बढ़ावा देते थे। यह देखा गया कि स्कूल आधारित अन्त:क्रियाओं में प्रधान अध्यापक ने भयमुक्त वातावरण का निर्माण करने का प्रयास किया जिससे अध्यापक अपने मत वैभिन्य को हल करने के लिए अथवा किसी विषय पर अपनी अज्ञानता को व्यक्त करने में परस्पर ईमानदार बने रहे। जैसा कि एक अध्यापक याद करते हैं, 'एक बार हम एक विषय पर चर्चा कर रहे थे। इस दौरान फोटोसिन्थेसिस का सन्दर्भ आया। मैं इसके बारे में सिर्फ इतना ही जानता था कि यह ''पौधों द्वारा खाद्य उत्पादन की एक प्रक्रिया'' है। कक्षा के बाद मैंने राजेश सर से इस पर बात की और फिर हम दोनों ने लोकेश सर (विज्ञान के अध्यापक) से चर्चा की। उन्होंने पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझाया और अपनी अगली कक्षा में इसी विषय पर चर्चा भी की।' उसने आगे बताते हुए कहा कि प्रधान अध्यापक एक अच्छे प्रबन्धक हैं जो हर तरह के प्रशासनिक काम और अन्य विभाग से आने वाली माँगों की देखभाल करते हैं। इससे अध्यापक, अध्यापन के विषय में सीखने और कक्षा से सम्बन्धित मामलों में केन्द्रित करने में खुद को स्वतंत्र महसूस करते हैं।

चर्चित प्रधान अध्यापक राजेश, पूर्व क्लस्टर संसाधन समन्वयक थे। उनका मानना है कि बच्चों को सीखने के लिए एक सहयोगी वातावरण की जरूरत होती है। उनका यह विश्वास, कक्षा में बच्चों के बढ़-चढ़कर गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए किए गए प्रोत्साहन में दिखाई दिया। और जिस तरीके से उन्होंने विभिन्न अवधारणाओं पर चर्चा करने के लिए बच्चों के अपने सन्दर्भों में प्रासंगिक उदाहरणों का इस्तेमाल किया, उसमें भी दिखा। उनकी कक्षा में छात्रों को सक्रिय रूप से हिस्सेदारी करते हुए देखा गया। उन्होंने यह भी बताया कि वे उनके पढ़ाने के तरीके का कितना मजा लेते हैं। कक्षा 8 के एक छात्र ने अपनी कक्षा के अनुभव को बताया, 'जब हम संसद के बारे में पढ़ रहे थे, तो राजेश सर ने हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया

और हमें संविधान पर वीडियो भी दिखाया। हमें उनकी क्लास बहुत पसन्द है।' समुदाय के सदस्यों ने भी बताया कि बच्चों द्वारा स्कूल आने में दिखाई जाने वाली बढ़ती रुचि के लिए वह प्रमुख कारणों में से एक है। उनके अनुसार, वह समुदाय की चीजों को समझते हैं और उन्होंने स्कूल से सम्बन्धित प्रत्येक निर्णय में उन्हें शामिल किया है। जैसे वार्षिक समारोह जैसे कार्यक्रमों ओर समारोहों को आयोजित करने में।

स्कूल का चरित्र स्कूल की कुछ प्रक्रियाओं में दिखाई दिया। यह देखा गया कि बच्चे बारी-बारी से बिना किसी लैंगिक और जातीय भेदभाव के मध्याह्न भोजन के वितरण की जिम्मेदारी ले रहे थे। इसमें भोजनमाता से बर्तन और खाना लेना और सभी बच्चों को बाँटना शामिल है। जमीन पर दरी बिछाने में अध्यापकों ने बच्चों की मदद की और मध्याह्न भोजन के लिए उसी दरी पर बच्चों के साथ बैठ गए। बच्चों के बैठने के बाद प्रधान अध्यापक ने बच्चों की जगह बदल दी और यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक लड़की एक लड़के के पास बैठे। ऐसा करने के पीछे उन्होंने कहा कि बच्चों को यह विषय समझना होगा और उन्हें जेण्डर के मुद्दों के प्रति संवेदनशील होना होगा और वे आने वाले मुद्दों से निपटने से डरे नहीं। स्कूल में कक्षा की समाप्ति को बताने के लिए घण्टी नहीं बजाई जाती। प्रधान अध्यापक के अनुसार, 'यहाँ पर बच्चे प्रशिक्षण के लिए नहीं आए, वे यहाँ शिक्षा के लिए आते हैं, जिसे भयमुक्त होना चाहिए।' उन्होंने बताया कि उन्होंने शिक्षा के बारे में पढ़ते हुए बहुत से विचार ग्रहण किए। वह नियमित रूप से पढ़ते हैं। यहाँ तक कि स्कूल की सुबह की सभा भी यहाँ पर अनोखी है। यह तीन भाषाओं में आयोजित की जाती थी-एक-एक दिन के अन्तराल पर हिन्दी, अँग्रेजी और संस्कृत का इस्तेमाल किया जाता था। एक दिन पहले, कक्षा द्वारा अगली दिन की सभा के लिए दो या तीन छात्रों के एक समूह का नामांकन किया जाता। उस दिन की पूरी प्रक्रिया, जिसमें निर्देश और छात्रों का परिचय शामिल था, चुनी गई भाषा में ही किया जाता (अँग्रेजी, संस्कृत या हिन्दी)। अगर किसी बच्चे का जन्मदिन होता तो उसे गीत गाकर मनाया जाता और बच्चे को पेन या ऐसा ही कोई लिखने-पढ़ने का उपहार दिया जाता।

स्कूल में आयोजित अन्य गतिविधियों में शैक्षिक भ्रमण, सफाई अभियान, बाल सभा, समर कैम्प और बगीचे का सप्ताह शामिल थे। इनमें से कुछ विभाग के आदेश पर किए जाते और कुछ प्रधान अध्यापक द्वारा प्रस्तावित पहलकदमी पर आयोजित किए जाते। उदाहरण के लिए, प्रत्येक साल परीक्षाओं के बाद स्कूल ने एक दो दिन का कार्यक्रम आयोजित किया। पहले दिन स्कूल की अच्छी तरह सफ़ाई की गई और पौधों की देखभाल की गई। अगले दिन,छात्रों और अध्यापकों ने खाना पकाने के उत्सव में हिस्सा लिया। इसमें सभी छात्रों ने खुले में स्थानीय व्यंजन पकाए और एक साथ उनका मजा लिया। इस कार्यक्रम का विचार प्रधान अध्यापक का था ताकि बच्चे स्थानीय भोजन और संस्कृति से अवगत हो सकें।

केस स्टडी 7 : शासकीय निम्न प्राथमिक विद्यालय - मांडेहल्ली, जिला माण्ड्या, कर्नाटक

शासकीय निम्न प्राथमिक विद्यालय, माण्ड्या नार्थ ब्लॉक के मांडेहल्ली ब्लॉक में स्थित है। यह माण्ड्या जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर है। हालाँकि यह जिला मुख्यालय से बहुत दूर नहीं है, लेकिन शहर से सार्वजनिक परिवहन की सुविधाएँ बहुत ही खराब हैं। माण्ड्या से इस गाँव के लिए सिर्फ एक बस चलती है। बस स्टॉप से मांडेहल्ली पहुँचने के लिए 2.5 किलोमीटर का पैदल रास्ता तय करना पड़ता है। इस रास्ते में निर्जन खेत और नहर को पार करना पड़ता है। कहते हैं कि यह रास्ता सुरक्षित नहीं है। इस रास्ते में आमतौर पर गाँव के लोग बच्चों को मोटर साइकिल पर लिफ्ट देते हुए दिखाई दे जाते हैं।

गाँव में लगभग 150 परिवार हैं। यहाँ पर मुख्यत: कहीं और से पलायन करके आए आदिवासी लोग बस गए हैं। उनमें से अधिकांश अशिक्षित और गरीब हैं। वे खेतों में मजदूरी करने और दैनिक वेतन मजदूरी पर निर्भर हैं। खेतों में काम मौसमी फसल के दौरान ही मिलता है। जब फसल का मौसम नहीं होता है तो उन्हें आजीविका के लिए दूसरा साधन ढूँढ़ना पड़ता है। टूटे हुए घरों के कारण बहुत से बच्चे, एकल अभिभावक के साथ रहते हैं या केवल दादा-दादी के साथ रहते हैं।

स्कूल की स्थापना 1981 में हुई थी। इसके बाद धीरे-धीरे प्रतिवर्ष 30 बच्चे नामांकित हुए। वर्तमान समय में, स्कूल में 25 बच्चे हैं। स्कूल में पर्याप्त मूलभूत सुविधाएँ हैं और एक बड़ा प्रांगण है। इसमें खेल का मैदान और किचन गार्डन के लिए भी जगह है। किचन गार्डन को 4थी और 5वीं के बच्चे और अध्यापक संभालते हैं। मध्याह्न भोजन के लिए एक महिला रसोईया है।

स्कूल में दो अध्यापक हैं। राचैया, प्रभारी प्रधान अध्यापक हैं और प्रकाश, एक सहायक अध्यापक हैं (तालिका 7.1)। राचैया एक वरिष्ठ अध्यापक हैं। उन्हें 23 साल का अनुभव है जिसमें से 20 साल उन्होंने इसी स्कूल में बिताए हैं। दोनों अध्यापक एक साथ मोटर साइकिल पर स्कूल आते हैं। इससे स्थानीय परिवहन पर उनकी निर्भरता नहीं रहती। यह देखा गया कि दोनों अध्यापक बेहद मिल-जुलकर अपने काम करते हैं। राचैया 1-3 तक की कक्षाओं को देखते हैं और प्रकाश 4थी व 5वीं की कक्षा देखते हैं।

तालिका 7.1 : अध्यापकों की रूपरेखा

अध्यापक का नाम	लिंग	उम्र	अकादमिक योग्यता	व्यावसायिक योग्यता	पदभार ग्रहण करने का वर्ष	इस स्कूल वर्ष सेवा में
राचैया	पुरुष	46	पी.यू.सी.	टी.सी.एच.	1994	20
प्रकाश	पुरुष	36	बी.एससी	बी.एड	2014	2

बच्चों के प्रति अध्यापकों का सरोकार उनके पढ़ाने के तरीके में तथा जिस तरह वे स्कूल को चला रहे थे, उसमें झलकता था। अध्यापक पारिवारिक पृष्ठभूमि के सन्दर्भ में हरेक बच्चे के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। यह देखा गया कि कक्षा में हरेक बच्चे पर ध्यान दिया जाता था। जैसे उनकी व्यक्तिगत साफ-सफाई का ध्यान रखा जाता था, खासतौर पर उन बच्चों की जिनकी घर पर उचित देखभाल नहीं मिल पाती थी। जब भी स्कूल को विभाग से मिलने वाले कोष के अलावा किसी चीज की जरूरत महसूस होती, तो रोटरी अथवा ग्राम पंचायत से अनुदान लिया जाता अथवा अध्यापक अपनी जेब से सहयोग करते थे। नोटबुक और पेन जैसे संसाधनों की कमी होने पर अध्यापक व्यक्तिगत रूप से उस कमी को पूरा करते दिखाई दिए।

अध्यापकों की बातचीत में समुदाय के कठिन परिवेश के प्रति उनकी सहानुभूति नजर आई। जैसा कि अध्यापक ने बताया, 'समुदाय के लोग बेहद भोले और साधारण है और माता-पिता चाहते हैं कि बच्चे पढ़े और अपने जीवन में कुछ अच्छा करें। अपने जीवन की तमाम कठिनाइयों के बावजूद वे अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। वे शायद ही कभी स्कूल आते हैं क्योंकि स्कूल के समय में वे खेतों में काम कर रहे होते हैं। और स्कूल आने का मतलब है कि उस दिन की कमाई का नुकसान होना। मैं माता-पिता से बहुत उम्मीद नहीं करता कि वे अपने बच्चों की पढ़ाई की देखरेख करें या उन्हें यूनिफार्म और किताबें दिलाएँ। अक्सर, कुछ बच्चे बिना नाश्ता किए स्कूल आते हैं और उन्हें स्कूल में मिलने वाले खाने के लिए दोपहर तक इन्तजार करना पड़ता है। हम माता-पिता से किसी वित्तीय मदद की उम्मीद नहीं रखते। हम केवल यही चाहते हैं कि वे बच्चे के लिए स्कूल से जुड़े रहें और उसे सहयोग करें। हम स्वतंत्रता दिवस और बाल दिवस जैसे कार्यक्रमों में उन्हें आमंत्रित करते हैं और उन्हें यह अवसर प्रदान करते हैं कि वे इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से अपने बच्चों की प्रतिभा देख सकें। वे अपने बच्चों की प्रगति से बहुत खुश हैं, वे अन्य माता- पिताओं को भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। 19 सालों में स्कूल की बच्चों की संख्या कभी कम नहीं हुई। हमारे स्कूल में औसतन 25-30 बच्चे हमेशा रहते हैं।'

अध्यापकों के बीच सहज कामरेडाना (साथीपन) भाव और उनकी प्रतिबद्धता का बोध उनकी बातों से नजर आता है। जैसा कि राचैया बताते हैं, 'प्रकाश और मुझमें बहुत अच्छा तालमेल और परस्पर सम्मान है। सुबह की सभा के बाद हम दोनों अपनी-अपनी कक्षाओं में जाते हैं और एक-दूसरे से पुन: लंच के वक्त ही मिलते हैं। इसके बाद हम केवल स्कूल की छुट्टी के बाद ही मिलते हैं। हमने ऐसा सिद्धान्त इसलिए बनाए रखा है ताकि हमारा ध्यान कक्षाओं से भटके नहीं। जब भी कोई महत्वपूर्ण प्रशासनिक काम आ जाता है तो हम दोनों इसे साझा करते हैं। प्रकाश बहुत ही मिलकर काम करने वाला व्यक्ति है। साथ ही वह बच्चों एवं स्कूल के बारे में काफी सरोकार रखता है। एक तरह का विचार रखने के कारण मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है। हम एक साथ नई चीजों के बारे में चर्चा करते हैं, कि हम कक्षाओं को बेहतर करने, बच्चों की अकादमिक प्रगति, किचन गार्डन, के लिए क्या कर सकते हैं। हम अपने व्यक्तिगत मसलों पर भी बात करते हैं। हम एक सहकर्मी होने से ज्यादा अच्छे दोस्त हैं।'

प्रधान अध्यापक निचली कक्षाओं में पढ़ाते हुए बहुत खुश थे। उनका मानना है कि 1 से 3 तक की कक्षाएँ बच्चों को भविष्य में सीखने के लिए तैयार करने के लिए आधार होती हैं। उन्होंने बहुत ही गर्व से स्कूल के बच्चों के सीखने के स्तर को बताया। वह कहते हैं कि वे अपनी कक्षा की योग्यताओं से कहीं आगे हैं। और उन्होंने अन्य स्कूलों और यहाँ तक कि निजी स्कूलों से भी उनकी तुलना की।

दोनों अध्यापक वही मध्याह्न भोजन खाते हैं जो बच्चे खाते हैं और ऐसा बताया गया कि वे दोनों प्रतिमाह 500 रुपए इसमें सहयोग करते हैं जिससे मध्याह्न भोजन के लिए दिए गए आधिकारिक कोष और वास्तविक व्यय में जो कमी आती है वह पूरी हो जाए। और वे यह सुनिश्चित करते हैं कि हरेक बच्चा अच्छी तरह से भोजन करे। दोनों अध्यापकों ने व्यक्तिगत रूप से बच्चों को खाना परोसा और उनके खाने के बाद ही खाना खाया। बच्चों को हफ्ते में तीन बार दूध दिया जाता है। इसके साथ ही प्रधान अध्यापक यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके पास हमेशा बिस्किट रहें जिससे बिना नाश्ता किए आने वाले बच्चे को दिए जा सकें। स्कूल आने वाले किसी आगन्तुक, जैसे माता-पिता को भी खाना दिया जाता है। सहायक अध्यापक प्रकाश ने साल में एक बार बच्चों को विशेष खाना खिलाने के लिए 2000 रुपए का सहयोग दिया।

बातचीत के दौरान प्रकाश ने बताया कि हालाँकि प्राइमरी अध्यापक होना उनकी पसन्द नहीं थी लेकिन अब वह अपने काम का लुत्फ लेते हैं। उन्होंने बताया,' मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है इसलिए मैंने यह पेशा चुना। जब मैं अपना कोर्स कर रहा था तो मेरे लिए यह पक्का नहीं था कि मैं छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहता था या हाईस्कूल के बच्चों को। मुझे यह नियुक्ति एक प्राइमरी अध्यापक के रूप में मिली है। शुरू में मैं थोड़ा सन्देह में था लेकिन धीरे-धीरे, मुझे मेरा काम अच्छा लगने लगा। छोटे बच्चों को पढ़ाने से मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। खासतौर पर जब मैं उनमें बहुत तेजी से प्रगति देखता हूँ तब।' यह पाया गया कि प्रकाश पास के टीचर लर्निंग सेंटर में नियमित रूप से आता था। वह लगातार संसाधनों को ले जाता और रिसोर्स पर्सन से लगातार चर्चाएँ करता। उसने कम्प्यूटर का इस्तेमाल करना सीखा, इसके बाद उसने अपना व्यक्तिगत लैपटॉप खरीद लिया। इसका इस्तेमाल वह कक्षाओं में पढ़ाते वक्त सम्बन्धित वीडियो एवं तस्वीरें दिखाने के लिए करता है।

स्कूल में एक सक्रिय और सहयोगी एस.डी.एम.सी. थी, जो राचैया की पहल कदमियों का समर्थन करती थी। बदले में राचैया बहुत मुस्तैदी से सारी सूचनाएँ उनसे साझा करते, खासतौर से कोष और उनके बँटवारे के सम्बन्ध में, जिससे कि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। एस.डी.एम.सी. की सारी बैठकें शाम के 7.30 के बाद ही होती थीं, जिससे शामिल होने वाले सदस्यों के कामों में कोई बाधा न पड़े। एस.डी.एम.सी. के एक सदस्य के शवैया ने अध्यापकों की सकारात्मक भूमिका की पुष्टि की।' हम सौभाग्यशाली हैं इन अध्यापकों को अपने स्कूल में पाकर। वे हमारे परिवार की तरह हैं, वे स्कूल और बच्चों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। हमारा विश्वास है कि हमारे बच्चे इस स्कूल में बहुत ही अच्छी शिक्षा पा रहे हैं। वे विभाग द्वारा स्कूल के विकास के लिए दिए गए कोष एवं प्रोत्साहन राशि के बारे में पारदर्शी हैं। स्कूल के विकास के लिए शुरू होने वाले किसी भी काम के लिए हम सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं। जब उसके लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है, तो हमारे अध्यापक, कोष की व्यवस्था कर लेते हैं। इसके लिए वे या तो चन्दा इकट्ठा करते हैं अथवा अक्सर वे अपना पैसा ही खर्च कर देते हैं। हम गरीब हैं और वित्तीय रूप से मदद करने की स्थिति में नहीं हैं, लेकिन वे हमसे केवल यही माँग करते हैं कि हम बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजें। अभिभावक-अध्यापक मीटिंग करके वे यह सुनिश्चित करते हैं कि हम अपने बच्चे की प्रगति के बारे में समझें। लगभग इन सारे बच्चों के माता-पिता मजदूर हैं और उनमें से बहुत कम पढ़े-लिखे हैं। अत: हमारे बच्चों की शिक्षा की समूची जिम्मेदारी अध्यापकों की है।'

राचैया, प्रभारी प्रधान अध्यापक होने के कारण निराशा व्यक्त करते हैं। इस पद की वजह से उन पर स्कूल प्रशासन की अतिरिक्त जिम्मेदारी आ जाती है। इसके कारण अक्सर उन्हें बच्चों और कक्षा से दूर, किसी और काम में समय लगाना पड़ता है। उन्होंने दुख व्यक्त किया कि अगर उन्हें कक्षा में और वक्त मिले तो वह और बेहतर कर सकते थे।' अगर मेरा ध्यान केवल कक्षा में ही रहता तो मैं हमारी पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य पाठ्य पुस्तकों से भी गणित पढ़ा सकता था। बच्चे थोड़ा आगे का परिप्रेक्ष्य ग्रहण कर सकते थे। इस उम्र में बच्चे वह सब कुछ सीखने की क्षमता रखते हैं जो आप उन्हें पढ़ा रहे हो।'

क्लस्टर रिसोर्स पर्सन, सुमति महीने में एक बार स्कूल आती हैं, उनका इन दो अध्यापकों के बारे में यह कहना है : वह (राचैया) (क्लस्टर या ब्लॉक रिसोर्स सेन्टर में) या तो स्कूल से पहले सुबह या स्कूल के बाद शाम को आते हैं। उन्हें स्कूल के समय में कोई भी ऑफिस का काम करना पसन्द नहीं। राचैया और प्रकाश छुट्टी के लिए तभी आवेदन करते हैं जब कोई आपात स्थिति हो, नहीं तो नहीं करते। दोनों अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार हैं। पैसों के लेन-देन में वे बहुत पारदर्शी हैं और अपने काम के प्रति बेहद प्रतिबद्ध हैं। तमाम अवरोध के बावजूद यह हमारे ब्लॉक के बेहतरीन स्कूलों में से एक है। यहाँ बच्चों के सीखने का स्तर उत्कृष्ट है। विभाग के लिए जरूरी सारे दस्तावेज एवं रजिस्टर हमेशा दुरुस्त रहते हैं। बच्चों को प्रोत्साहन राशि देने में कोई देर नहीं होती। मध्याह्न भोजन बहुत ही पोषक होता है और स्कूल में बहुत ही गर्मजोशी का माहौल रहता है। मेरे वहाँ जाने की सूचना मिलने या न मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वहाँ किसी तरह का कोई बहाना नहीं है।'

जब राचैया से उनकी प्रेरणा के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, 'मैं इन बच्चों की वजह से अपनी आजीविका कमाता हूँ। मैं उनके लिए अच्छी शिक्षा का कर्जदार हूँ। यही विचार उन्हें प्रतिबद्धता से पढ़ाने के लिए प्रेरित करता है।'

4. निष्कर्ष

अध्यापकों की अनुपस्थिति की प्रवृत्ति के बारे में हुए इस अध्ययन से कुल मिलाकर यह पता चलता है कि बिना किसी कारण के होने वाली अध्यापकों की अनुपस्थिति की दर केवल 2.5 प्रतिशत ही है। यह अध्यापक अनुपस्थिति की प्रवृत्ति पर हुए अन्य अध्ययनों से भी जुड़ता है, जो यह बताते हैं कि उनकी 'कर्तव्य से सम्बन्धित लापरवाही' 5 प्रतिशत से भी कम है। अन्य निष्कर्ष स्कूल से इतर मिलने वाले कामों के समूची व्यवस्थागत चुनौतियों की ओर इशारा करते हैं जो अभी भी उनके कार्य समय का अच्छा खासा हिस्सा ले लेते हैं। अध्यापकों को बहुत-सा समय उन गतिविधियों पर खर्च करना पड़ता है जो उनके मुख्य काम-स्कूल अध्यापन से सम्बन्धित नहीं होती हैं। अध्यापकों के स्तर पर महिला अध्यापक, पुरुष अध्यापकों की तुलना में कम अनुपस्थित पाई जाती हैं। और यह पाया गया कि स्कूल आने-जाने में लगने वाले समय से फर्क पड़ता है। जहाँ तुलनात्मक रूप से आने-जाने में अधिक समय लगता है वहाँ अधिक अनुपस्थिति होती है। ये दोनों निष्कर्ष अध्यापकों की अनुपस्थिति की प्रवृत्ति पर हुए अन्य अध्ययनों से भी निकलते हैं। जहाँ तक अन्य अध्यापक-स्तर और स्कूल-स्तर की बात है, यह परस्पर जुड़ता है, इसमें कोई उल्लेखनीय सुनियोजित अन्तर नहीं दिखाई देता है।

इसके अलावा, ये सात केस स्टडी, सामान्यतः सरकारी स्कूल व्यवस्था और विशेषतौर पर अध्यापकों के कामों के मौजूदा यथार्थ की बहुत सूक्ष्म समझ प्रस्तुत करती हैं। जिनके बारे में वर्तमान शोध अध्ययनों और नीतिगत विमर्श में बहुत कम करके आकलन किया जाता है। ये केस स्टडी बताती हैं कि सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने कामों के साथ कर्तव्यनिष्ठ पेशेवरों की तरह संलग्न होते हैं। यहाँ तक कि वे व्यवस्थागत कठिनाइयों और व्यक्तिगत असुविधाओं के चुनौतीपूर्ण सन्दर्भों के बावजूद काम में लगे रहते हैं। इससे, उस विमर्श की प्रकृति की एक व्यापक आलोचना हमारे सामने आती है जो सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की अनुपस्थिति की प्रवृत्ति के इर्दगिर्द बनाई गई है। वर्तमान विमर्श कुल मिलाकर अध्यापकों की अनुपस्थिति के बिन्दु पर अत्यधिक जोर डालता है। यह विमर्श उस 20 प्रतिशत के क्रम में है जो इस प्रचलित धारणा की पूर्ति करता है कि एक 'गैर जवाबदेह' सरकारी स्कूल प्रणाली है जिसमें विशेष जोर कथित रूप से 'गैर जवाबदेह' अध्यापकों पर रहता है। यह नीतिगत उपायों और उपक्रमों के लिए प्रस्थान बिन्दु का भी काम करता है। अक्सर यह व्यक्त या अव्यक्त रूप से सरकारी स्कूल अध्यापकों की ओर इंगित होता है। जिसके, सरकारी स्कूल प्रणाली में नियमित और सुप्रशिक्षित अध्यापकों के पेशेवर कैडर को विकसित करने की दिशा में गम्भीर निहितार्थ होते हैं। इस दिशा में नीतिगत सुझाव और उठाए जाने वाले कदमों की रेंज यहाँ तक होती है- नियमित कैडरों को संविदा पर लिए गए अध्यापकों से बदला जाए, अध्यापकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य की जाए, अन्य क्षेत्रों के रिटायर पेशेवरों को निमंत्रण दिया जाए कि वे स्कूल प्रणाली में अध्यापक के रूप में वालिंटियर करें। यहाँ, लक्ष्यों, प्रक्रियाओं और शिक्षा प्रणाली के परिणामों के मूल्यांकन के लिए 'कार्यक्षमता' सबसे महत्वपूर्ण मानदण्डों में से एक बन जाती है। अक्सर ऐसा उन अन्य मानदण्डों की कीमत पर होता है जो एक मजबूत सरकारी स्कूल प्रणाली को बनाते हैं।

एक स्तर पर, 'कार्यक्षमता' और 'जवाबदेही' का यह विमर्श एक बात को नजर अन्दाज करता है, वह है–सरकारी स्कूलों का रोजमर्रा का यथार्थ, जिसमें अध्यापक की अनुपस्थिति के लिए अनेक तथ्य काम करते हैं। इनमें से सभी 'जवाबदेही की कमी' से नहीं जुड़े होते। वास्तव में, जैसा कि यह अध्ययन दिखाता है कि स्कूलों में अध्यापकों की अनुपस्थिति के लिए व्यवस्थागत कारणों (जिनमें अन्य अकादमिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियाँ शामिल हैं) से तुलना करने पर 'बिना कारण अनुपस्थिति' बहुत ही नगण्य है। ऐसी परिस्थिति में वर्तमान अध्यापक की अनुपस्थिति की प्रवृत्ति का विमर्श एक ऐसी अवस्थिति की पुष्टि करता हुआ–सा लगता है जिसमें अध्यापक को एक ऐसे असुरक्षित कार्य वातावरण के अधीन होना चाहिए जो मजबूती से जवाबदेही निर्मित करता हो।

एक अन्य स्तर पर, यह विमर्श अध्यापन के पेशे की वास्तविक प्रकृति पर पर्याप्त ध्यान नहीं देता जिसमें अक्सर स्वायत्तता का अर्थ होता है जुड़ाव और अध्यापक के प्रयास तथा कार्यवाही, उसकी काम करने की मुख्य प्रेरक शक्ति होती है। ये केस स्टडी वास्तव में अध्यापकों के काम के इस आयाम का उदाहरण पेश करती हैं। इसके अलावा वर्तमान अध्यापक की अनुपस्थिति की प्रवृत्ति के विमर्श में जवाबदेही को जिस तरह से संकल्पित किया गया है उसमें, जवाबदेही प्रक्रिया के मूल्य पर 'व्यक्ति' और 'परिणाम' आधारित जवाबदेही पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। जवाबदेही प्रक्रिया के आधार पर जवाबदेही को समझने के लिए, यह आवश्यक है कि इसमें व्यवस्थागत चीजों के योगदान को ध्यान में रखना होगा। (उदाहरण के लिए – अध्यापक की तैयारी, भर्ती, नियुक्ति के लिए कमजोर तंत्र, अध्यापकों को समर्थन और परामर्श के लिए अपर्याप्त सांस्थानिक प्रक्रिया, और मुख्य टीचिंग–लर्निंग कार्यभारों से जुड़ने के लिए अध्यापकों के लिए अपर्याप्त कार्य दशा)। अन्य अध्ययन इस बात को भी चिह्नित करते हैं कि कैसे नीति निर्धारण में और उसके कार्यान्वयन में अध्यापक की आवाज के शामिल न होने, उच्चतर अधिकारियों एवं माता–पिता जैसे अन्य साझेदारों द्वारा पर्याप्त सराहना न मिलने, और स्व–विकास के लिए अर्थपूर्ण सहयोगी मंचों की अनुपस्थिति से सरकारी स्कूल के अध्यापकों में निराशा उत्पन्न हुई है (बत्रा 2005, रामचन्द्रन 2005, मूइज 2008)। इन अध्ययनों के साथ जुड़कर, यह अध्ययन भी उपर्युक्त चिन्ताओं और अध्यापकों के काम के समक्ष मौजूद चुनौतियों के प्रति और अधिक गहरी और सरोकार युक्त समझ बनाने के लिए रास्ता बनाता है, जिससे कि इस मुद्दे से सम्बन्धित नीतियों की प्रकृति को समझने के लिए दिशा मिल सके।

अँग्रेजी से अनुवाद : अनिल सिंह **सम्पादन :** राजेश उत्साही

संदर्भ

Batra, P (2005):"Voice and Agency of Teachers: Missing Link in National Curriculum Framework 2005," *Economic and Political Weekly,* 40(40): 4347-4356.

Beteille, T (2009): *Absenteeism, transfers and patronage:* the political economy of teacher labor markets in India, Unpublished Doctoral Dissertation, Stanford University.

Bhattacharjea, S, W Wadhwa and R Banerji (2011):*Inside Primary Schools. A study of teaching and learning in rural India,* Mumbai: Pratham.

Government of India (2009): *Teachers' absence in primary and upper primary schools: Synthesis report of study conducted in Andhra Pradesh,* Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, New Delhi: EdCIL.

Government of India (2017):*Economic Survey 2016-17,* Ministry of Finance.

Kingdon, G and M Muzammil(2003): *The Political Economy of Education in India: Teacher Politics in Uttar Pradesh,* New Delhi: Oxford University Press.

Kremer, M, N Chaudhury, F H Rogers, Kmuralidharan and J Hammer(2005):"Teacher absence in India: A snapshot," *Journal of the European Economic Association,* 3(2-3): 658-667.

Mooij, J (2008):"Primary Education, Teachers' Professionalism and Social Class about Motivation and Demotivation of Government School Teachers in India,"*International Journal of Educational Development, 28(5): 508–523.*

Muralidharan, K, and V Sundararaman(2013): *Contract teachers: Experimental evidence from India* (No. w19440), National Bureau of Economic Research.

Muralidharan, K, J Das, A Holla and A Mohpal (2016):*"The Fiscal Cost of Weak Governance: Evidence from Teacher Absence in India,"* Policy Research Working Paper 7579, World Bank Group.

Pratham (2017):*Annual Status of Education Report (Rural) 2016 Provisional,* New Delhi: ASER Centre.

Ramachandran, V (2005):"Why School Teachers Are Demotivated and Disheartened,"*Economic and Political Weekly,* 40(21): 2141-2144.

नोट

Azim Premji
University

पिक्सल बी, पीईएस कैम्पस, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, होसुर रोड, बंगलोर - 560100